AGRASEN CIVIL SERVICES ACADEMY

Where tradition meets innovation

ACSA

8 से 14 अगस्त

साप्ताहिक करेंट अफेयर्स

For

UPSC / RPSC EXAMS

and All Other Competitive

- ऑपरेशन 'स्काईलाइट'
- इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम
- विश्व आदिवासी दिवस
- स्माइल-75 पहल
- यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन
- 'शेवेलियर डे ला लेजन डी'ऑनर' पुरुस्कार
- नेथन्ना बीमा योजना
- भारत एवं पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह
- राजस्थान स्पेशल :- राजस्थान का एकीकरण

A UNIT OF

Agrawal PG College, Jaipur

www.acsajaipur.com +91-8824395504, +91-8290664069

Agrasen Katla, Maharaja Agrasen Marg, Agra Road, Jaipur - 302004 (Raj.)

Weekly Current Affairs

भारतीय मौसम विभाग द्वारा पूर्वानुमान

संदर्भ: भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, 'जलवायु परिवर्तन' ने पूर्वानुमान एजेंसियों की सटीक भविष्यवाणी करने की क्षमता में बाधा उत्पन्न की है।

पूर्वानुमान के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण:

- रडार (Radars): मौसम संबंधी पूर्वानुमानों के लिए 'रडार' को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि इनमे उच्च रिज़ॉल्यूशन क्षमता होती है और ये हर 10 मिनट में प्रेक्षण प्रदान करने में सक्षम होते हैं। देश में रडारों की संख्या वर्तमान में 34 से बढ़कर 2025 तक 67 हो जाएगी।
- स्वचालित मौसम स्टेशन और वर्षामापी एवं उपग्रह।
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) द्वारा अगले दो वर्षों में अपने 'उच्च- कार्य-निष्पादक कंप्यूटिंग सिस्टम' की 10 पेटाफ्लॉप की क्षमता से बढ़ाकर 30 पेटाफ्लॉप करने की भी योजना बनाई गयी है।

IMD द्वारा किसी विशेष वर्ष में मानसून वर्षा की अपेक्षित मात्रा का अनुमान लगाने के लिए आधार के रूप में 'दीर्घावधि औसत' (Long Period Average- LPA) का उपयोग किया जाता है।

'दीर्घावधि औसत' (LPA) के आधार पर, IMD द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर वार्षिक 'मानसून वर्षा' को पांच श्रेणियों से नीचे वर्गीकृत किया जाता है-

- सामान्य या लगभग सामान्य: वास्तविक वर्षा की प्रतिशत शुरुआत 'दीर्घावधि औसत' का +/- 10% होती है, अर्थात 'दीर्घावधि औसत' के 96-104% के बीच वर्षा होती है।
- सामान्य से कम: जब वास्तविक वर्षा का विचलन LPA के 10% से कम होता है, तो इसमें LPA के 90-96% के बीच वर्षा होती है।
- सामान्य से अधिक: जब वास्तविक वर्षा, 'दीर्घावधि औसत' (LPA) का 104-110% होती है।
- वर्षा में कमी: जब वास्तविक वर्षा का विचलन LPA के 90% से कम होता है।
- वर्षा का आधिक्य: जब वास्तविक वर्षा का विचलन LPA के 110 प्रतिशत से अधिक होता है।

पूर्वानुमान मॉडल:

'गतिकीय मानसून पूर्वानुमान मॉडल' (Dynamical Monsoon Forecast Model):

इस मॉडल को, हाल ही में, IMD द्वारा अपनाया गया था। इस मॉडल में मानसून की भविष्यवाणी करने के लिए 'उद्विकासी मौसम प्रतिरूपों' (evolving weather patterns) का उपयोग किया जाता है, और यह छोटे स्थानिक और सामयिक पैमानों पर बेहतर काम करता है।

भारतीय मौसम विभाग (IMD) के बारे में:

1875 में स्थापित, (मुख्यालय: पुणे), IMD, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है और यह मौसम संबंधी अवलोकन, मौसम पूर्वानुमान और भूकंप विज्ञान के लिए जिम्मेदार प्रमुख सरकारी एजेंसी है।

विचाराधीन कैदी

संदर्भ: सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्रता के 75 वें वर्ष का जश्न मनाने के लिए 'विचाराधीन कैदियों' (Undertrials) और छोटे अपराधों के दोषी लोगों को रिहा करने के लिए कहा है।

'विचाराधीन कैदी' / 'अंडर-ट्रायल' की परिभाषा: 'विचाराधीन कैदी' (Undertrials) के तहत, किसी अपराध के लिए गिरफ्तार किया गए और मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने की प्रतीक्षा कर रहे व्यक्तियों को शामिल किया जाता है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के 2020 डेटा के अनुसार- भारतीय जेलों में बंद 76 प्रतिशत कैदी 'विचाराधीन कैदी' हैं, जोकि उनके मूल अधिकारों का उल्लंघन है।

- विचाराधीन कैदियों की अधिक संख्या के कारण: न्याय प्रणाली में देरी, अदालत के कर्मचारियों और न्यायाधीशों की कमी, जमानत प्रणाली में असंगति, खराब कानूनी प्रतिनिधित्व आदि।
- विचाराधीन कैदियों के लिए शुरू की गयी पहलें: फास्ट-ट्रैक कोर्ट्स की स्थापना, जेल योजना का आधुनिकीकरण, ओपन कोर्ट, आईपीसी और सीआरपीसी कानूनों को सुव्यवस्थित करना, एक समान छोटे अपराधों को संयुक्त करना और मिशन मोड में इन पर सुनावी करना, ई-जेल प्रोजेक्ट, इत्यादि।
- मलीमठ समिति (2013) की सिफारिश: आपराधिक मामलों में 'उचित संदेह से परे सबूत' के मानक को समाप्त किया जाना चाहिए।

अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A

संदर्भ: जम्मू और कश्मीर में धारा 370 और अनुच्छेद 35A को निरस्त करने के तीन साल।

अनुच्छेद 370 के तहत, जम्मू-कश्मीर को एक अलग संविधान, एक राज्य ध्वज और आंतरिक प्रशासन की स्वायत्तता की शक्ति प्रदान की गयी थी।

अनुच्छेद 35A: इसके तहत, जम्मू और कश्मीर राज्य की विधायिका को राज्य के "स्थायी निवासियों" को परिभाषित करने और उन्हें विशेष अधिकार और विशेषाधिकार प्रदान करने का अधिकार दिया गया था।

- संविधान (जम्मू और कश्मीर में लागू) संशोधन आदेश, 2019 (Constitution (Application to Jammu & Kashmir) Amendment Order, 2019): इस आदेश के तहत, भारतीय संविधान के प्रावधानों को जम्मू-कश्मीर राज्य में लागू किया, और जम्मू-कश्मीर के संविधान को अलग करने वाले सभी प्रावधानों को निरस्त कर दिया गया। इससे अनुच्छेद 35A स्वतः ही निरसित हो गया।
- जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के तहत राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों – जम्मू-कश्मीर (विधायिका के साथ) और लद्दाख (विधानमंडल के बिना) – में पुनर्गठित किया गया।
- इन निर्णयों का प्रभाव: जम्मू-कश्मीर एक अलग झंडा नहीं रख सकता। 'रणबीर दंड संहिता' की जगह पर 'भारतीय दंड संहिता' लागू होगी, और भारतीय संविधान के सभी प्रावधान अब स्वचालित रूप से जम्मू-कश्मीर पर भी लागू होते हैं, और इससे कानून और व्यवस्था की घटनाओं में भारी कमी देखी गई है।

आसियान-भारत विदेश मंत्रियों की बैठक (AIFMM)

Mobile No.- 8824395504, 8290664069
Mail ID-acsajaipur@gmail.com
https://t.me/ACSAJAIPUR4IAS https://www.instagram.com/acsajaipur/ https://www.facebook.com/acsajaipur

संदर्भ: इस वर्ष भारत-आसियान संबंधों के 30 वर्ष पूरे हो गए हैं, और वर्ष 2022 को 'आसियान-भारत मैत्री वर्ष' के रूप में नामित किया गया है।

सहयोग के क्षेत्र:

- व्यापार: भारत के कुल व्यापार का 10% से अधिक आसियान देशों के साथ होता है, और वर्तमान में आसियान समूह भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार।
- फोरम: भारत, आसियान क्षेत्रीय मंच (ASEAN Regional Forum) तथा 'मेकांग गंगा सहयोग' (Mekong Ganga Cooperation) का सदस्य है।
- परिवहन: भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग, कलादान मल्टी-मॉडल परियोजना।
- सुरक्षा: भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' और 'इंडो-पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव' (IPOI)।
- सैन्य अभ्यास: CORPAT (इंडोनेशिया और थाईलैंड के साथ); समुद्र शक्ति (इंडोनेशिया); सिम्बेक्स (सिंगापुर)
- सामाजिक-सांस्कृतिक सहयोग: आसियान के छात्रों को भारत में आमंत्रित करना, आसियान राजनयिकों के लिए विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, सांसदों का आदान-प्रदान आदि।
- पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (EAS): पहली बार 2005 में आयोजित इस शिखर सम्मेलन में आमतौर पर आसियान, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, रूस, दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होते हैं।

आसियान के बारे में: वर्ष 1967 में आर्थिक विकास और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित 'आसियान' (ASEAN) 10 देशों का एक अंतर-सरकारी संगठन है।

शल्यक रणनीति

संदर्भ: ताइवान, चीन द्वारा बल-प्रयोग के माध्यम से अपने ऊपर कब्जा करने की स्थिति में, 'शल्यक रणनीति' (Porcupine Strategy) का उपयोग करने की योजना बना रहा है।

- "शल्यक सिद्धांत" (Porcupine Doctrine) को वर्ष 2008 में 'अमेरिकी नेवल वॉर कॉलेज' के शोध प्रोफेसर 'विलियम एस मरे' द्वारा प्रस्तावित किया गया था। यह, कमजोर राज्य की सुरक्षा को मजबूत करने के बजाय दुश्मन की कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए कमजोर राज्य को मजबूत करने पर केंद्रित 'असममित युद्ध' की एक रणनीति है।
- यह रणनीति, सुरक्षा के निर्माण के बारे में है जो यह सुनिश्चित करेगी कि ताइवान पर "हमला किया जा सकता है और क्षतिग्रस्त किया जा सकता है लेकिन 'कम से कम अस्वीकार्य रूप से उच्च लागत और जोखिम के बिना पराजित नहीं किया जा सकता है'।

स्टार्ट-अप इंडिया सीड फंड स्कीम

स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना (Startup India Seed Fund Scheme- SISFS) की शुरुआत 2021 में स्टार्टअप इंडिया पहल (Startup India initiative) के 5 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में की गई थी।

उद्देश्य: इस योजना का उद्देश्य स्टार्टअप्स के प्रोटोटाइप का विकास, प्रूफ ऑफ कांसेप्ट, उत्पाद परीक्षण, बाज़ार में प्रवेश हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना को 'उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (Department for Promotion of Industry and Internal Trade – DPIIT) द्वारा लॉन्च किया गया था।

Mobile No.- 8824395504, 8290664069
Mail ID-acsajaipur@gmail.com

पात्रता: DPIIT द्वारा केवल उसी स्टार्टअप, को मान्यता प्रदान की जाएगी जिसे आवेदन की अवधि से 2 वर्ष से अधिक का समय न हुआ हो। तथा, स्टार्टअप द्वारा केंद्र या राज्य सरकार की किसी भी योजना के तहत 10 लाख से अधिक की वित्तीय सहायता प्राप्त न की जा रही हो।

विशेषताएं: चयनित इनक्यूबेटर्स को स्टार्टअप्स के प्रोटोटाइप का विकास, प्रूफ ऑफ कांसेप्ट, उत्पाद परीक्षण हेतु 20 लाख रूपए तक की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी, और स्टार्टअप्स को बाजार में प्रवेश, व्यवसायीकरण या परिवर्तनीय डिबेंचर या ऋण से जुड़े उपकरणों हेतु 50 लाख रुपए तक का निवेश प्रदान किया जाएगा।

स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के बारे में: 2016 में लॉन्च किए गया 'स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव' देश में नवाचार के पोषण और नवोदित उद्यमियों को अवसर प्रदान करने हेतु एक मज़बूत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की परिकल्पना प्रस्तुत करता है।

स्टार्टअप्स के लिए अन्य पहलें: स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज, नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स, स्टार्टअप इकोसिस्टम को सपोर्ट पर राज्यों की रैंकिंग, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन स्टार्टअप फोरम, 'प्रारंभ' समिट।

राष्ट्रीय जल पुरस्कार

संदर्भ: चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों (National Water Awards – NWA) के लिए नामांकन शुरू किया गया है।

राष्ट्रीय जल पुरस्कार के बारे में:

जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य करने वाले व्यक्तियों और संगठनों को प्रोत्साहित करने और मान्यता देने के लिए, 'राष्ट्रीय जल पुरस्कार' (NWA) दिए जाते हैं।

जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 2018 में पहला राष्ट्रीय जल पुरस्कार शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य 'जल समृद्ध भारत' के सरकार के दृष्टिकोण को पूरा करना है।

तीसरे 'राष्ट्रीय जल पुरस्कारों' के तहत:

- सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में, उत्तर प्रदेश को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- राजस्थान को द्वितीय और तमिलनाडु को तृतीय पुरस्कार मिला।
- सर्वश्रेष्ठ जिला श्रेणी: मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश) और शहीद भगत सिंह नगर (पंजाब) राष्ट्रीय जल पुरस्कार' प्रदान किया गया था।

जल संरक्षण के लिए अन्य योजनाएं: कैच द रेन, जल क्रांति अभियान (जल ग्राम योजना पानी की कमी वाले क्षेत्र में दो मॉडल गांवों को विकसित करने के लिए), जल संरक्षण के लिए मनरेगा, राष्ट्रीय जल मिशन (जल उपयोग दक्षता में 20% की वृद्धि), नीति आयोग समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, जल जीवन मिशन (पाइप द्वारा पीने के पानी के लिए)।

लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान

संदर्भ: हाल ही में, SSLV-D1 ने उपग्रहों को 356-किमी वृत्ताकार कक्षा के बजाय 356x76 किमी अण्डाकार कक्षा में स्थापित कर दिया गया, जिससे ये उपग्रह अनुपयोगी हो गए हैं।

'लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान' के बारे में:

स्वदेश निर्मित मिनी रॉकेट लॉन्चर – 'लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान' (Small Satellite Launch Vehicle – SSLV), को विशेष रूप से छोटे वाणिज्यिक उपग्रहों को पृथ्वी की सतह से 200-2,000 किमी से कम उचाई पर – पृथ्वी की निचली कक्षाओं (LEO) में ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

- यह 500 किलोग्राम वजन के उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में ले जाने में सक्षम है।
- SSLV, 110 टन भार के साथ इसरो का सबसे छोटा प्रक्षेपण वाहन है।
- इसको इंटिग्रेट होने में मात्र 72 घंटे का समय लगेगा तथा इसको एकीकृत करने के लिए मात्र छह लोगों की आवश्यकता होगी।
- इसके निर्माण में लगभग मात्र 30 करोड़ रुपए की लागत आयेगी।
- यह यान एक बार में कई माइक्रोसेटेलाइट लॉन्च करने के लिए सबसे उपयुक्त वाहन है, और यह कई कक्षाओं में उपग्रह भेजने में सक्षम है।

'न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड' (NSIL): ISRO की वाणिज्यिक शाखा, 'न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड' (NSIL) प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से भारत में निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में SSLV और अधिक शक्तिशाली PSLV का बड़े पैमाने पर उत्पादन और निर्माण करेगी।

ऑपरेशन 'स्काईलाइट'

संदर्भ: हाल ही में, भारतीय सेना ने ऑपरेशन 'स्काईलाइट' (Operation 'Skylight') के तहत अपने उपग्रह-आधारित सिस्टम की परिचालन तत्परता का परीक्षण किया है।

- परिभाषा: 'सैटेलाइट-बेस्ड सिस्टम्स', सेना के ग्राउंड और एयर-बेस्ड सिस्टम्स को कम्युनिकेशन सुविधाएं मुहैया कराता हैं। और, स्थलीय संपर्क बाधित होने की स्थिति में यह एक बैकअप के रूप में भी कार्य करता है।
- आवश्यकता: वर्तमान में, यु सेना और नौसेना के विपरीत, सेना के पास एक समर्पित उपग्रह प्रणाली नहीं है। GSAT-7B सैटेलाइट को सेना के इस्तेमाल के लिए लॉन्च किया जाएगा।
- उपग्रह की 'जीसैट-7 श्रृंखला' रक्षा सेवाओं के लिए है।

लाइव फायर एक्सरसाइज

संदर्भ:

अमेरिकी हाउस स्पीकर नैंसी पेलोसी के ताइवान जाने के बाद, चीन ने ताकत के एक बड़े प्रदर्शन में, ताइवान के पास कम से कम 11 बैलिस्टिक मिसाइलों को देश के तट पर लॉन्च करके अपना लाइव-फायर युद्धाभ्यास शुरू किया है।

विवरण:

- लाइव-फायर युद्धाभ्यास (Live-fire exercises), मुख्य रूप से सैन्य कर्मियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले अभ्यास हैं, जिसमें जितना संभव हो सके वास्तविक युद्ध परिदृश्यों के समान प्रशिक्षण स्थिति बनाने के लिए 'लाइव गोला बारूद' का उपयोग किया जाता है। भविष्य में वास्तविक जीवन की आपातकालीन स्थितियों में शांतिपूर्वक कार्य करने के लिए उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए, कानून प्रवर्तन और अग्निशामकों द्वारा क्षेत्र प्रशिक्षण के रूप में लाइव-फायर युद्धाभ्यास का भी उपयोग किया जाता है।

Mobile No.- 8824395504, 8290664069
Mail ID-acsajaipur@gmail.com
https://t.me/ACSAJAIPUR4IAS https://www.instagram.com/acsajaipur/ https://www.facebook.com/acsajaipur

- इसमें वाहनों, हथियार प्लेटफार्मों और हथियार प्रणालियों (जैसे अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और विमान-रोधी हथियार) की प्रभावशीलता का परीक्षण भी शामिल है, ताकि हथियारों के पूरी तरह से चालू होने से पहले किसी भी डिजाइन की खामियों को हल किया जा सके।

पोर्टुलाका ओलेरासिया

संदर्भ: वैज्ञानिकों ने एक नए प्रकार के प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन करने के लिए दो चयापचय मार्गों (metabolic pathways) को एकीकृत किया है जो 'खरपतवार' को अत्यधिक उत्पादक रहते हुए भी सूखे का सामना करने में सक्षम बनाते हैं।

- एक आम खरपतवार और गूदेदार – पोर्तुलाका ओलेरासिया (Portulaca oleracea), जिसे आमतौर पर 'पर्सलेन' (Purslane) के नाम से जाना जाता है, जलवायु परिवर्तन से घिरी दुनिया में 'सूखा-सहिष्णु फसलों' के उत्पादन के बारे में महत्वपूर्ण सुराग प्रदान करता है।
- 'पर्सलेन' में विकासवादी अनुकूलन हैं जो इसे अत्यधिक उत्पादक और सूखा सहिष्णु, दोनों होने में मदद करते हैं, जोकि एक पौधे के लिए एक असंभव संयोजन है।
- अन्य उपयोग: पोर्टुलाका ओलेरासिया का उपयोग कई देशों में एक 'लोक औषधि' के रूप में किया जाता है, यह एक ज्वरनाशक, एंटीसेप्टिक और वर्मीफ्यूज के रूप में कार्य करता है।

संस्कृति मंत्रालय और गूगल की 'भारत की उड़ान' पहल

- संस्कृति मंत्रालय और गूगल ने पिछले 75 वर्षों की भारत की अटूट, अमर भावना और इसकी उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए 'भारत की उड़ान' पहल की शुरुआत की है।
- यह आयोजन संस्कृति मंत्रालय और गूगल के बीच दशक भर की जारी साझेदारी का हिस्सा है।
- इसका उद्देश्य अपने समृद्ध अभिलेखागार और कलात्मक चित्रों के माध्यम से नागरिकों को भारत की समृद्ध संस्कृति और विरासत में ले जाना है।

परवाज़ मार्केट लिंकेज योजना

संदर्भ: हाल ही में, जम्मू और कश्मीर सरकार ने "परवाज़ मार्केट लिंकेज स्कीम" (PARVAZ Market Linkage Scheme) शुरू की है। यह एक अभिनव मार्केट लिंकेज योजना है, जिसमें पूरे जम्मू और कश्मीर के किसानों की आर्थिक स्थिति में उत्थान करने की जबरदस्त क्षमता है।

योजना के तहत, सरकार 'खराब होने वाले' फलों (Perishable Fruits) को 'एयर कार्गो' के माध्यम से ले जाने के लिए 'माल ढुलाई शुल्क' पर 25% की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। यह सब्सिडी, किसानों को 'प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण' के माध्यम से सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम

संदर्भ: 'इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम' (Indian Virtual Herbarium), देश की वनस्पतियों का सबसे बड़ा डेटाबेस है।

- हाल ही में, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (BSI) के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित, 'इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम' का उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा किया गया।

Mobile No.- 8824395504, 8290664069
Mail ID-acsajaipur@gmail.com
https://t.me/ACSAJAIPUR4IAS https://www.instagram.com/acsajaipur/ https://www.facebook.com/acsajaipur

- 'डिजिटल हर्बेरियम' के प्रत्येक रिकॉर्ड में संरक्षित पौधे के नमूने की एक छवि, वैज्ञानिक नाम, संग्रह स्थान, संग्रह तिथि, संग्रहकर्ता का नाम और बारकोड संख्या शामिल है। डिजिटल हर्बेरियम में राज्य-वार डेटा निकालने की सुविधा भी शामिल हैं और उपयोगकर्ता अपने स्वयं के राज्यों के पौधों की खोज कर सकते हैं जो उन्हें क्षेत्रीय पौधों की पहचान करने और क्षेत्रीय चेकलिस्ट बनाने में मदद करेंगे।

अविवाहित महिलाएं गर्भपात सेवाओं का लाभ उठा सकती हैं: सुप्रीम कोर्ट

संदर्भ: (द हिंदू संपादकीय) पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, कि MTP अधिनियम की पुनर्व्याख्या करते हुए कहा कि, क़ानून के नियमों में 'पार्टनर' का उल्लेख किया गया है न कि 'पति' का, और अविवाहित महिलाओं को विवाहित महिलाओं के बराबर रखा गया है।

पृष्ठभूमि: मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971 और इसकी नियमावली, 2003 में 20 सप्ताह से 24 सप्ताह की गर्भवती अविवाहित महिलाओं को गर्भ समापन करने के लिए प्रतिबंधित किया गया है।

फैसले का महत्व:

- निष्पक्षता: सुप्रीम कोर्ट ने एक नियम स्पष्ट किया है, कि यह प्रावधान स्पष्ट रूप से मनमाना और महिलाओं के 'दैहिक स्वायत्तता और गरिमा' के अधिकार का उल्लंघन करता है।
- सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से 'कानून की दूरंदेशी व्याख्या' करने की सिफारिश की है।
- 'चमकदार' उदाहरण के रूप में भारतीय न्यायपालिका: ऐसे समय में जब संयुक्त राज्य अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले में 'रो बनाम वेड' ने गर्भपात के सवाल पर उस देश को कई दशक पीछे खींच लिया है, भारतीय अदालत का यह कदम, अदालत के आधुनिक और प्रगतिशील होने की इच्छा का अच्छा उदाहरण है।
- संविधान के अनुच्छेद 14 में सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण की गारंटी दी गयी है, जिसका अनुपालन किया जाना चाहिए।
- पिछला मामला: सुप्रीम कोर्ट ने एक युवा अविवाहित महिला के गर्भपात (20 सप्ताह से अधिक) की सुविधा प्रदान की थी। इस महिला का साथी, उसके गर्भवती होने का पता चलते ही उससे अलग हो गया था।

विश्व आदिवासी दिवस 2022

9 अगस्त को विश्व के 'आदिवासी लोगों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस' (World Tribal Day 2022) के रूप में मनाया जाता है।

- **उद्देश्य:** मूलनिवासी लोगों की भूमिका और उनके अधिकारों, समुदायों और सदियों से एकत्रित और आगे बढाए गए ज्ञान को संरक्षित करने के महत्व को उजागर करने के लिए 'विश्व आदिवासी दिवस' मनाया जाता है।
- **थीम:** "पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण और प्रसारण में मूलनिवासी महिलाओं की भूमिका।"
- **इतिहास**: वर्ष 1994 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें '9 अगस्त' को विश्व के 'मूलनिवासी लोगों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस' के रूप में घोषित किया गया था, क्योंकि, 9 अगस्त को मूलनिवासी / आदिवासी आबादी पर संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह ने अपनी पहली बैठक आयोजित की थी।

महत्व:

- आदिवासी लोगों द्वारा अर्जित ज्ञान का संज्ञान लेना सांस्कृतिक और वैज्ञानिक रूप से भी महत्वपूर्ण है

- आदिवासी भाषाओं की समझ और संरक्षण, उनकी आध्यात्मिक प्रथाओं और दर्शन आदिवासियों की पहचान से समझौता किए बिना उनके संरक्षण और उत्थान में मदद कर सकते हैं।
- **भारत में जनजातियों की स्थिति:** जनजातीय जनसंख्या कुल जनसंख्या का 8.6% (या 11 करोड़) है, जोकि दुनिया में किसी भी देश में जनजातीय लोगों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। इनमें से 89.97% ग्रामीण क्षेत्रों में और 10.03% शहरी क्षेत्रों में रहते हैं।
- लोकुर समिति (1965) के अनुसार, आदिम लक्षणों का संकेत, विशिष्ट संस्कृति, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क की शर्म, भौगोलिक अलगाव, पिछड़ापन आदि, किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में पहचानी जाने वाली आवश्यक विशेषताएं हैं।
- **संविधान**: भारत का संविधान 'जनजाति' शब्द को परिभाषित नहीं करता है, हालांकि, अनुसूचित जनजाति शब्द को संविधान में अनुच्छेद 342 (i) के माध्यम से जोड़ा गया था।

ग्रेट बैरियर रीफ

संदर्भ: ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ मरीन साइंस (AIMS) की रिपोर्ट के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया के 'ग्रेट बैरियर रीफ' (GBR) के उत्तरी और मध्य भागों में पिछले 36 वर्षों में 'कोरल कवर' का उच्चतम स्तर दर्ज किया गया है।

'ग्रेट बैरियर रीफ' के बारे में:

- 'ग्रेट बैरियर रीफ समुद्री उद्यान' (Great Barrier Reef Marine Park), क्वींसलैंड (आस्ट्रेलिया) के उत्तरी-पूर्वी तट के समांतर 2,300 किमी से अधिक की लंबाई में फ़ैली हुई, विश्व की यह सबसे बड़ी मूँगे की दीवार है, और मोटे तौर पर 'इटली' के आकार के बराबर है।
- इस उद्यान में लगभग 3,000 प्रवाल भित्तियां (coral reefs), 600 महाद्वीपीय द्वीप (continental islands), 1,625 प्रकार की मछलियां, 133 किस्मों की शार्क और रे मछलियाँ और 600 प्रकार के नरम और कठोर मूंगे (प्रवाल) पाए जाते हैं।
- यह यूनेस्को द्वारा घोषित एक 'विश्व धरोहर स्थल' है।

परिभाषा: प्रवाल (Corals) समुद्री अकशेरूकीय जीव होते हैं जिनकी रीढ़ नहीं होती है (फाइलम निडारिया)। वे ग्रह पर पायी जाने वाली सबसे बड़ी जीवित संरचनाएं हैं।

प्रवाल भित्तियाँ (Coral Reefs) समुद्र में जैव विविधता के महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट होती हैं। 'प्रवाल' (Corals), जेलीफ़िश और एनीमोन (Anemones) की भांति 'नाइडेरिया' (Cnidaria) वर्ग के जीव होते हैं। ये अलग-अलग पॉलीप्स से मिलकर बने होते हैं और एक साथ मिलकर 'प्रवाल भित्ति' का निर्माण करते हैं।

प्रवाल विरंजन' क्या है?

जब तापमान, प्रकाश या पोषण में होने वाले किसी भी परिवर्तन के कारण प्रवालों पर तनाव बढ़ता है, तो वे अपने ऊतकों में निवास करने वाले 'जूजैंथिली' (Zooxanthellae) नामक सहजीवी शैवाल को निष्कासित कर देते हैं जिस कारण प्रवाल सफेद रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। इस घटना को 'कोरल ब्लीचिंग' या 'प्रवाल विरंजन' (Coral bleaching) कहते हैं।

- प्रवालों को अपनी लगभग 90% ऊर्जा, क्लोरोफिल और अन्य वर्णकों से भरपूर 'जूजैंथिली' शैवाल से प्राप्त होती है।
- ये शैवाल, अपने पोषक प्रवालों के पीले या लाल भूरे रंग के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। इसके अलावा, 'जूजैंथिली' जेलीफ़िश के साथ भी 'अंतः सहजीवी' / एंडोसिम्बियन्ट्स के रूप में भी रह सकते हैं।

- किसी प्रवाल का विरंजन होने पर यह तत्काल नहीं मरता है, बल्कि मरने के काफी करीब आ जाता है। समुद्र की सतह का तापमान सामान्य स्तर पर लौटने के बाद कुछ प्रवाल इस अवस्था से बचे रह सकते हैं और पुनः स्वस्थ हो सकते हैं।

मूंगों का महत्व: प्रवाल भित्तियाँ, प्रजातियों की एक विस्तृत श्रृंखला का भरण पोषण करती हैं और तटीय जीवमंडल की गुणवत्ता को बनाए रखती हैं।

प्रवाल (मूंगे), मृत होने बाद 'चूना पत्थर' के खोल में परिवर्तित हो जाते हैं, और इस प्रकार पानी में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को नियंत्रित करते हैं। यदि यह प्रक्रिया नहीं होती है, तो समुद्र के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में काफी वृद्धि होगी और परिणामस्वरूप 'पारिस्थितिक आवासों' (Ecological Niches) पर इसका प्रभाव पड़ेगा।

भीतरकणिका राष्ट्रीय उद्यान

संदर्भ: 'खारे पानी के मगरमच्छों' के विशेषज्ञों का कहना है कि 'भीतरकणिका राष्ट्रीय उद्यान' (Bhitarkanika National Park) एक 'अनुवेधन सीमा' (saturation point) पर पहुंच चुका है। यदि इसे ठीक से संबोधित नहीं किया गया तो यह एक बड़ी समस्या साबित हो सकती है।

- भीतरकणिका राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन, और एक सफल 'खारे पानी के मगरमच्छ संरक्षण कार्यक्रम' के लिए जाना जाता है।
- यह पाया गया है, कि पार्क में और उसके आसपास मगरमच्छों ने 2012 से अब तक 50 लोगों की जान ले ली है, जबकि इसी अवधि में 25 मगरमच्छों की मानव बस्तियों में प्रवेश करने, या मछली पकड़ने के जाल में फंसने से मृत्यु हो गई।

निकोबार में कच्छल द्वीप

संदर्भ: 'यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन' (NASA) ने हाल ही में भारत के निकोबार द्वीपसमूह के एक हिस्से, कच्छल द्वीप (Katchal island) पर मैंग्रोव क्षेत्र के नुकसान पर प्रकाश डाला है।

हिंद महासागर में आयी सुनामी के कारण द्वीप पर 90% से अधिक मैंग्रोव क्षेत्र नष्ट हो गया था।

वाहिकाशोथ / वास्कुलिटिस

संदर्भ: हॉलीवुड अभिनेता एश्टन कचर को दो साल पहले एक "अजीब, अति दुर्लभ प्रकार का 'वाहिकाशोथ' (vasculitis) हुआ था, जिसने उनकी दृष्टि, श्रवण और "संतुलन" को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया था। हाल ही में, उन्होंने एक ट्वीट में इसका जिक्र किया था।

'वास्कुलिटिस' एक सूजन-संबंधी बीमारी है, जो आपके रक्त वाहिकाओं, धमनियों, नसों और केशिकाओं को प्रभावित करती है।

यह रक्त वाहिकाओं की दीवारों में परिवर्तन करती है जो रक्त प्रवाह बाधित होने लगता है और अंततः ऊतक और अंगों को नुकसान पहुंचाता है।

लांग्या हेनिपावायरस

प्रसंग: चीन के शेडोंग और हेनान प्रांतों में एक नए 'लांग्या वायरस' (Langya virus – LayV) के मामले सामने आए हैं। लांग्या वायरस को 'हेनिपावायरस' (Henipavirus) के नाम से भी जाना जाता है।

- द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन – ए ज़ूनोटिक हेनिपावायरस इन फेब्राइल पेशेंट्स इन चाइना – के अनुसार, नया खोजा गया वायरस एक “फाइलोजेनेटिक रूप से भिन्न हेनिपावायरस” है।
- निपाह और हेंड्रा वायरस भी पैरामाइक्सोविरिडे परिवार से एक ही जीनस ‘हेनिपावायरस’ से संबंधित हैं। पैरामाइक्सोविरिडे (Paramyxoviridae), सिंगल-स्ट्रैंड राइबोन्यूक्लिक एसिड (RNA) वायरस का एक परिवार है जो विभिन्न प्रकार के वायरल संक्रमण का कारण बनता है।
- ये वायरस चमगादड़, कृन्तकों और छछूँदर में पाए जाते हैं और मनुष्यों को संक्रमित करने के लिए जाने जाते हैं, तथा संभावित रूप से घातक बीमारियों का कारण बनते हैं।
- लांग्या वायरस के लिए वर्तमान में कोई टीकाकरण या चिकित्सा उपलब्ध नहीं है, इसलिए ज़ूनोटिक रोग की जटिलताओं के इलाज के लिए सहायक देखभाल ही इसका प्राथमिक विकल्प है।

एजीएम-88 हार्म

संदर्भ: अमेरिका यूक्रेन को एजीएम -88 हार्म (AGM-88 HARM) मिसाइलें भेजने की घोषणा की हैं। इन मिसाइलों को रडार सिस्टम को ट्रैक और नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह कदम, रूसी वायु रक्षा के खिलाफ प्रतिरोधी उपायों को काफी बढ़ावा दे सकता है।

- फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट्स मिलिट्री एनालिसिस नेटवर्क के अनुसार, AGM-88 HARM (हाई-स्पीड एंटीरेडिएशन मिसाइल) एक सुपरसोनिक हवा से सतह पर मार करने वाली सामरिक मिसाइल है जिसे दुश्मन के रडार से लैस वायु रक्षा प्रणालियों की तलाश और नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एजीएम-88 न्यूनतम एयरक्रू इनपुट के साथ लक्ष्य का पता लगा सकता है, हमला कर सकता है और नष्ट कर सकता है।

‘हिम ड्रोन-ए-थॉन’ कार्यक्रम

संदर्भ: हाल ही में भारतीय सेना द्वारा ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से ‘हिम ड्रोन-ए-थॉन’ (Him Drone-e-thon) कार्यक्रम का अनावरण किया गया था।

- रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता के अनुरूप इस पहल का उद्देश्य भारतीय ड्रोन परितंत्र को उत्प्रेरित करना और उसे केंद्रित अवसर प्रदान करना है ताकि अग्रिम पंक्ति के सैन्य-दल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अग्रणी ड्रोन क्षमताओं का विकास किया जा सके।
- ‘हिम ड्रोन-ए-थॉन’ एक अखिल भारतीय कार्यक्रम है। यह उद्योग, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, शिक्षाविदों और ड्रोन उत्पाद निर्माताओं सहित सभी हितधारकों को जोड़ने का प्रयास करता है।

“वज्र प्रहार, 2022” युद्धाभ्यास

संदर्भ: भारत-अमेरिका संयुक्त विशेष सैन्य बलों के 13वें संस्करण का संयुक्त युद्धाभ्यास “वज्र प्रहार, 2022” (Vajra Prahar 2022) हिमाचल प्रदेश के बकलोह में शुरू हुआ है।

- **उद्देश्य**: वज्र प्रहार की श्रृंखला के संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के विशेष बलों के बीच संयुक्त मिशन योजना और परिचालन रणनीतियों जैसे क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ परिपाटियों और अनुभवों को साझा करने के साथ ही अंतर संचालन में सुधार करना है।

- **संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत के अन्य युद्धाभ्यास**: युद्धअभ्यास (सेना); कोप इंडिया (वायु सेना); रेड फ्लैग (यूएसए का बहुपक्षीय हवाई अभ्यास); मालाबार अभ्यास (भारत, अमेरिका और जापान का त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास)।

केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के लिए ₹ 1.16 लाख करोड़ जारी

संदर्भ: केंद्र सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में राज्यों को सुनिश्चित माल और सेवा कर (GST) मुआवजे की अवधि समाप्त होने के बाद, इस वित्तीय वर्ष में राज्य सरकारों की पूंजीगत व्यय क्षमताओं को आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए धनराशि (सामान्य राशि से दोगुना) जारी की है।

केंद्र द्वारा फ्रंट-लोडेड दृष्टिकोण: राज्यों को अपने पूंजीगत व्यय को बढ़ाने के लिए, खर्च और विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र द्वारा 'फ्रंट-लोडेड दृष्टिकोण' (Front-loaded approach) अपनाया गया है।

राज्यों को केंद्र से प्राप्त होने वाले राजस्व:

- **हस्तांतरण (करों में राज्यों का हिस्सा):** सकल कर राजस्व (अतिरिक्त-बजटीय) से करों के राज्य के हिस्से के रूप में।
- **योजना से संबंधित अंतरण**: योजना व्यय से, बजट आवंटन के आधार पर, केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए।
- **वित्त आयोग अनुदान:** बजट आवंटन के आधार पर अंतरण, व्यय और अन्य व्यय से राज्यों को हस्तांतरण के रूप में।
- **अन्य अंतरण:** बजट आवंटन के आधार पर अन्य अनुदान या ऋण।

15वें वित्त आयोग की सिफारिश:

- उर्ध्वाधर अंतरण (केंद्र से राज्यों के लिए): 2021-22 से शुरू होने वाली पांच साल की अवधि के लिए करों के 'विभाज्य पूल' में राज्यों की हिस्सेदारी 41% है।
- क्षैतिज हस्तांतरण (राज्यों के बीच आवंटन): आयोग ने जनसांख्यिकीय प्रदर्शन के लिए 12.5%, आय के लिए 45%, जनसंख्या और क्षेत्र में प्रत्येक को 15%, वन और पारिस्थितिकी के लिए 10% और कर और वित्तीय प्रयासों के लिए 2.5% भारांकों का सुझाव दिया है।

जिला स्तर पर अल्पसंख्यकों की शिनाख़्त

संदर्भ: हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिला स्तर पर 'अल्पसंख्यकों की शिनाख़्त' (Recognition of Minorities) करना कानून के विपरीत है।

- केरला शिक्षा विधेयक मामले, 1958 में सुप्रीम कोर्ट ने ब्लॉक या जिला स्तर पर 'अल्पसंख्यकों की शिनाख़्त' करने को खारिज कर दिया था।
- टीएमए पाई केस, 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, कि भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक, राज्य को एक इकाई मानते हुए निर्धारित किए जाते हैं, न कि राष्ट्रीय स्तर पर।

भारत में अल्पसंख्यक:

- **मान्यता:** वर्तमान में, केवल केंद्र सरकार द्वारा 'राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम', 1992 (NCM Act, 1992) की धारा 2(c) के तहत अधिसूचित समुदायों को अल्पसंख्यक माना जाता है।
- 2014 में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन को अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित किया गया था।

संवैधानिक स्थिति:

- संविधान 'अल्पसंख्यक' शब्द को परिभाषित नहीं करता है
- अनुच्छेद 29 (विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार): यह धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों, दोनों को सुरक्षा प्रदान करता है। जरूरी नहीं कि इसका दायरा केवल अल्पसंख्यकों तक ही सीमित हो।
- अनुच्छेद 30 (अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार): इसके तहत सुरक्षा केवल अल्पसंख्यकों (धार्मिक या भाषाई) तक ही सीमित है।
- अनुच्छेद 350- B: इसके तहत, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी का प्रावधान करते हैं।

नियम 267

संदर्भ: उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने अपने विदाई भाषण में, सदस्यों से नियम 267 (Rule 267) को लागू करने की अंधाधुंध मांग के खिलाफ वकालत की। यह नियम, संसद में अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए दिन के कामकाज को निलंबित करने की अनुमति देता है।

संबंधित मुद्दा: सदन के अन्य नियमों के निलंबन को न्यायोचित ठहराने वाले दुर्लभतम मामलों में राज्यसभा के 'नियम 267' का सहारा लेना चाहिए।

सदन में व्यवधान की स्थिति: 1978 के बाद से पहले 17 वर्षों में, राज्य सभा की वार्षिक उत्पादकता 100% से अधिक रही है। इसके बाद, वर्ष 2018 में सबसे कम वार्षिक उत्पादकता 40% दर्ज की गई है।

सांसदों के सामने चुनौतियां:

- व्यवधान, सदस्यों को सदन में बोलने की अनुमति नहीं देते है, जिससे उनका बोलने का उत्साह कम हो जाता है।
- स्थायी समितियों की बैठकों में भाग लेने वाले सदस्यों का कम प्रतिशत।
- सही तरीके से अच्छा भाषण – अच्छी तरह से तर्क और आंकड़ों, उदाहरणों या केस स्टडी द्वारा समर्थित – देने वाले वक्ता पर शायद ही कभी पर्याप्त ध्यान दिया जाता है।
- खबरों में सिर्फ हंगामा (अराजकता) की राजनीति सुर्खियां बटोरती है।

आवश्यकता:

पीठासीन अधिकारी अपने कक्षों में, विशेष रूप से शून्यकाल और प्रश्नकाल के लिए, बंद कमरे में कार्यवाही कर सकते हैं।

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय

संदर्भ: जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा 'एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय' (Eklavya Model Residential Schools – EMRS) के छात्रों के साथ 'संवाद' (एक वर्चुअल बातचीत) का आयोजन किया गया था

'एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों' के बारे में:

- 'एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों' की शुरुआत वर्ष 1997-98 में आवासीय विद्यालयों के रूप में दूरस्थ क्षेत्रों (उच्च आदिवासी आबादी वाले) में अनुसूचित जनजाति के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा (मध्यम और उच्च स्तर की शिक्षा) प्रदान करने के लिए की गयी थी।

Mobile No.- 8824395504, 8290664069
Mail ID-acsajaipur@gmail.com
https://t.me/ACSAJAIPUR4IAS https://www.instagram.com/acsajaipur/ https://www.facebook.com/acsajaipur

- 50% से अधिक अनुसूचित जनजाति आबादी वाले प्रत्येक ब्लॉक और न्यूनतम 20,000 जनजातीय आबादी पर एक 'एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय' (EMRS) होगा।
- प्रावधान: संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत प्रदान किए गए अनुदानों द्वारा स्थापित।
- EMRS का परिचालन करने हेतु, नवोदय विद्यालय समिति के समान, जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त सोसाइटी की स्थापना की जाती है।
- देश की कुल आबादी का 8.6% (11 करोड़) अनुसूचित जनजाति हैं।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समावेशी चुनावों पर 'वर्चुअल रीजनल फोरम' की बैठक का आयोजन

संदर्भ:भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) द्वारा "हमारे चुनावों को समावेशी, सुलभ और सहभागी बनाना" विषय पर 'एशियाई क्षेत्रीय मंच' की एक वर्चुअल बैठक की मेजबानी की गयी। क्षेत्रीय मंच की बैठक, आने वाले महीने में मेक्सिको के नेशनल इलेक्टोरल इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित होने वाले "चुनावी लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन" से पहले आयोजित किया गया है।

उद्देश्य: इसका उद्देश्य दुनिया भर के अंतरराष्ट्रीय संगठनों और चुनावी निकायों के बीच तालमेल पैदा करना और दुनिया में चुनावी लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बौद्धिक और संस्थागत लामबंदी को बढ़ावा देना है।

पिछले साल, 'लोकतंत्र के लिए पहला शिखर सम्मेलन' संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा "देश में लोकतंत्र को नवीनीकृत करने और विदेशों में निरंकुशता का सामना करने के लिए" विषय पर आयोजित किया गया था।

लोकतंत्र के संबंध में भारत की स्थिति:

- फ्रीडम हाउस 2021 की रिपोर्ट ने भारत को केवल "आंशिक रूप से स्वतन्त्र" (Partly Free) देश के रूप में रखा है।
- 'वी-डेम रिपोर्ट' ने भारत को "चुनावी निरंकुशता" (Electoral Autocracy) बताया है।
- 'ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी 2021' रिपोर्ट: भारत को 10 सबसे पीछे खिसकने -एक अधिक गंभीर और जानबूझकर लोकतांत्रिक क्षरण- वाले लोकतंत्रों में से एक की श्रेणी में शामिल किया गया था।

शहरी आवास योजना को 2024 तक जारी रखने की मंजूरी

संदर्भ: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी' (PMAY -U) को 31 दिसंबर 2024 तक जारी रखने के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

'प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी' के बारे में:

सभी के लिए आवास' भारत सरकार द्वारा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों/केंद्रीय नोडल एजेंसियों के माध्यम से देश के शहरी क्षेत्रों में सभी पात्र लाभार्थियों को बारहमासी पक्के मकान उपलब्ध कराने के लिए कार्यान्वित किए जा रहे प्रमुख कार्यक्रमों में से एक अहम कार्यक्रम है।

- 2015 में शुरू की गई, प्रोत्साहन के साथ किफायती आवास प्रदान करने के उद्देश्य से 'प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी' की मूल समय सीमा मार्च 2022 थी।
- इसका उद्देश्य, वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास उपलब्ध करना था।

वस्तुस्थिति:

Mobile No.- 8824395504, 8290664069
Mail ID-acsajaipur@gmail.com
https://t.me/ACSAJAIPUR4IAS https://www.instagram.com/acsajaipur/ https://www.facebook.com/acsajaipur

- 'प्रधानमंत्री आवास योजना' की वेबसाइट के आंकड़ों के अनुसार, अब तक कुल 12.26 मिलियन घरों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 61.77 लाख घरों को पूरा किया जा चुका है।
- दिसंबर 2021 में, कैबिनेट ने ग्रामीण आवास योजना, PMAY-ग्रामीण (ग्रामीण) को मार्च 2024 तक बढ़ाने को मंजूरी दी थी।

शहरी योजना चार कार्यक्षेत्रों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है:

1. संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग करते हुए निजी विकासकर्ताओं (developers) की भागीदारी से झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों निवासियों का 'स्लम पुनर्वास'।
2. 'क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी' के माध्यम से दुर्बल वर्ग के लिए किफायती आवासों को बढ़ावा देना।
3. सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के साथ साझेदारी में किफायती आवासों का निर्माण।
4. लाभार्थी द्वारा बनवाए जाने वाले निजी आवास के निर्माण/विस्तार के लिए सब्सिडी।

'क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी' घटक को 'केंद्रीय क्षेत्र की योजना' के रूप में लागू किया जाएगा, जबकि अन्य तीन घटकों को केंद्र प्रायोजित योजना (CSS) के रूप में लागू किया जाएगा।

सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) पर सहकारी समितियां

संदर्भ: सहकारी समितियों को GeM पोर्टल पर जोड़ा गया है, इससे इन समितियों को अन्य सरकारी एजेंसियों की तरह GeM पोर्टल पर खरीदारी करने की अनुमति मिल गयी है। अब तक सहकारी समितियां खुले बाजार से खरीदारी कर रही थीं।

सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM), वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद के लिए वन-स्टॉप पोर्टल है। इसे आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय (इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय) द्वारा विकसित किया गया है।

सहकारी समितियों के बारे में:

'सहकारी समितियां' क्या होती हैं?

- सहकारी समिति (Cooperative Societies), संयुक्त-स्वामित्व और लोकतांत्रिक रूप से नियंत्रण के माध्यम से, अपने सामूहिक आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, स्वेच्छा से एकजुट हुए व्यक्तियों का एक स्वायत्त संघ होती है।
- इन समितियों में, लाभकारिता की आवश्यकता, समिति के सदस्यों की आवश्यकताओं और समुदाय के व्यापक हितों से संतुलित होती है।

सहकारी समितियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान:

- संविधान (97वां संशोधन) अधिनियम, 2011 के माध्यम से, भारत में कार्यरत सहकारी समितियों के संबंध में संविधान के भाग IXA (नगरपालिका) के ठीक बाद एक नया भाग IXB जोड़ा गया।
- इसी संशोधन द्वारा, संविधान के भाग III के अंतर्गत अनुच्छेद 19(1)(c) में भारत के सभी नागरिकों को 'संगम या संघ' के साथ-साथ 'सहकारी समिति' बनाने का मूल अधिकार अंतःस्थापित किया गया है।
- सहकारी समिति के ऐच्छिक गठन, स्वायत्त कार्यवाही, लोकत्रांत्रिक नियंत्रण और व्यावसायिक प्रबन्धन में वृद्धि करने हेतु, संविधान में 'राज्य के नीति निदेशक तत्वों' (भाग IV) के अंतर्गत एक नया अनुच्छेद 43B जोड़ा गया है।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2002 में 'बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम' (Multi-State Co-operative Societies Act) लागू किया गया और सहकारी समितियों को 'स्वायत्त, स्वतंत्र और लोकतांत्रिक संगठनों' के रूप में प्रोत्साहित करने और इनके विकास के लिए सहयोग करने हेतु वर्ष 2002 में 'राष्ट्रीय सहकारिता नीति भी तैयार की गई। जिससे ये सहकारी समितियां, देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में अपनी उचित भूमिका निभा सकें।

संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध शासन व्यवस्था

संदर्भ: भारत ने संयुक्त राष्ट्र से कहा है कि 'संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध शासन व्यवस्था' (United Nations' sanctions regime) की विश्वसनीयता "अब तक के सबसे निम्न स्तर पर पहुंच चुकी" है। दोहरे मानकों और निरंतर राजनीतिकरण ने 'प्रतिबंध व्यवस्था' की विश्वसनीयता को सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुंचा दिया है।

प्रतिबंध व्यवस्था के साथ समस्याएं:

- दोहरे मापदंड: चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे कुछ देशों और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय द्वारा आतंकवाद के खिलाफ "चयनात्मकता" और "दोहरे मानकों" को अपनाया जा रहा है।
- **चीन:** आतंकी-सूचीकरण (terror listings) पर रोक लगाने का चीन का निर्णय, पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में तालिबान शासन के आतंकवादी कृत्यों का "महिमामंडन"। पाकिस्तान द्वारा काबुल में एक गुरुद्वारे पर हमलों के आरोपी 'आईएसआईएल-खोरासन' (ISIL-Khorasan) सहित अन्य आतंकवादी समूहों को आश्रय प्रदान किया जा रहा है।
- पाकिस्तान और अफगानिस्तान आधारित 'लश्कर-ए-तैयबा' और 'जैश-ए-मोहम्मद' के शीर्ष नेतृत्व सहित UNSC द्वारा निर्दिष्ट आतंकवादी सूची में कई आतंकवादियों को जोड़ने के अपने प्रयासों पर चीन द्वारा बार-बार अवरोध और 'तकनीकी रोक' लगायी गयी है।
- उदाहरण के लिए, चीन ने लश्कर-ए-तैयबा के उप प्रमुख 'अब्दुल रहमान मक्की' को सूचीबद्ध करने के भारत और अमेरिका के हालिया संयुक्त प्रस्ताव को विफल कर दिया।
- आतंकवाद पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव की रिपोर्ट: मध्य और दक्षिण एशिया में खतरों पर रिपोर्ट के भाग में, केवल ISIL-K का उल्लेख किया गया है, जबकि भारत को लक्षित करने वाले संबद्ध आतंकवादी समूहों के का कोई जिक्र नहीं है।
- **पाकिस्तान:** UNSC द्वारा सूचीबद्ध होने के बावजूद 'दाऊद इब्राहिम', आतंकवाद की ओर मुड़ने वाले 'अपराध सिंडिकेट' को "पड़ोसी देश" में "राज्य आतिथ्य" प्राप्त है।

पृष्ठभूमि:

- अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट (ISIL) के खिलाफ UNSC की 'प्रतिबंध व्यवस्था', जिसे पहली बार 1990 के दशक के अंत में लागू किया गया था, और फिर आतंकवाद पर वैश्विक युद्ध के एक भाग के रूप में अद्यतन किया गया था।
- UNSC 1267 समिति: इसकी स्थापना तालिबान-नियंत्रित अफगानिस्तान पर लगाए गए प्रतिबंधों के उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी के उद्देश्य से की गई थी, किंतु बाद में व्यक्तियों के साथ-साथ संगठनों को शामिल करने के लिए इसका दायरा बढ़ा दिया गया है।

आवश्यकता:

बिना कोई कारण बताए 'लिस्टिंग अनुरोधों' पर रोक लगाने और ब्लॉक करने की परंपरा होनी चाहिए। जब अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ इस सामूहिक लड़ाई की बात आती है तो UNSC के सभी सदस्यों को जल्द से जल्द एक स्वर में एक साथ आवाज उठानी चाहिए।

Mobile No.- 8824395504, 8290664069
Mail ID-acsajaipur@gmail.com
https://t.me/ACSAJAIPUR4IAS https://www.instagram.com/acsajaipur/ https://www.facebook.com/acsajaipur

प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र

संदर्भ: संयुक्त भारत-अमेरिका अनुसंधान परियोजनाओं को 'प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्रों' (Technology Innovation Hubs – TIH) के माध्यम से लागू किया जाएगा।

'प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्रों' के बारे में:

- 'प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र' 'राष्ट्रीय अंतर्विषयक साइबर-भौतिक प्रणाली मिशन' (National Mission on Interdisciplinary Cyber-Physical Systems: NM-ICPS) के अंतर्गत आते है, और इनका उद्देश्य अपेक्षित बुनियादी ढांचा (टेस्टबेड और डेटा सेट) प्रदान करना, सहयोग को सक्षम करना (जैसेकि एआई और वायरलेस पर) और विनिमय कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना है।
- NM-ICPS को 2018 में 5 साल की अवधि के लिए अकादमिक-उद्योग-सरकार सहयोग को सक्षम करने और CPS कार्यान्वयन के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया था।
- NM-ICPS के अंतर्गत- प्रौद्योगिकी विकास; मानव संसाधन और कौशल विकास; उद्यमिता; नवाचार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग-गतिविधियां शामिल हैं।

डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क

संदर्भ: माइक्रोसॉफ्ट सरकार के नेतृत्व वाले 'डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क' (Open Network for Digital Commerce – ONDC) में शामिल होगा।

- उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) द्वारा लॉन्च किए गए ONDC का उद्देश्य डिजिटल कॉमर्स का विकेंद्रीकरण और लोकतंत्रीकरण करना है। यह देश के किसी भी हिस्से में, अमेज़ॅन और फ्लिपकार्ट की भांति, छोटे व्यापारियों और 'मॉम-एंड-पॉप' स्टोर को उपभोक्ताओं तक पहुंचने की अनुमति देगा।
- यह एक ओपन-सोर्स प्लेटफॉर्म है और 'डिजिटल पेमेंट में यूपीआई' की तरह ही 'ई-कॉमर्स' में काम करेगा। इस प्लेटफॉर्म का समन्वय 'भारतीय गुणवत्ता परिषद' द्वारा प्रदान किया जाएगा।
- ONDC की आवश्यकता: भारत के ई-कॉमर्स में वैश्विक कारोबारियों का दबदबा बढ़ रहा है, जिससे छोटे कारोबारियों का प्रवेश मुश्किल हो गया है। ओएनडीसी की नजर एक ऑपरेटर-संचालित प्लेटफॉर्म-केंद्रित मॉडल से एक सुविधा-संचालित 'इंटरऑपरेबल ओपन नेटवर्क मॉडल' में बदलने पर है।

'ब्लू बॉन्ड'

संदर्भ: हाल ही में, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने 'संधारणीय वित्त' के लिए 'ब्लू बॉन्ड' (Blue Bonds) प्रस्तावित किए हैं।

'ब्लू बॉन्ड' के बारे में

'ब्लू बॉन्ड' (Blue Bonds), समुद्र और संबंधित पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा हेतु परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए जारी किए जाने वाले 'संधारणीयता बांड' होते हैं।

यह बांड, संवहनीय मत्स्य पालन, प्रवाल भित्तियों और अन्य संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्रों की सुरक्षा, अथवा प्रदूषण और अम्लीकरण को कम करने वाली परियोजनाओं के लिए जारी किए जा सकते हैं।

- यह एसडीजी 14 (जल के नीचे जीवन) की दिशा में प्रगति को उत्प्रेरित करेगा।
- सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र महासागर विज्ञान दशक (2021-2030) घोषित।
- पहला ब्लू बॉन्ड: 2018 में सेशेल्स गणराज्य, 'सॉवरेन ब्लू बॉन्ड' जारी किया गया था।

इसी तरह अन्य समान प्रकार के बांड: ग्रीन बॉन्ड (सकारात्मक पर्यावरणीय और/या जलवायु लाभ वाली परियोजनाओं को निधि देने के लिए उपयोग किया जाता है)।

ईकोस्ट्रेस

संदर्भ: नासा का इको सिस्टम (ECOsystem) और स्पेस स्टेशन पर 'स्पेसबोर्न थर्मल रेडियोमीटर एक्सपेरिमेंट' / ईकोस्ट्रेस (Spaceborne Thermal Radiometer Experiment on Space Station – ECOSTRESS) वनाग्नि के पीछे के पैटर्न और कारणों को समझने में मदद कर रहा है।

विवरण:

- ईकोस्ट्रेस (ECOSTRESS), वनस्पति द्वारा पानी के उपयोग की प्रभावशीलता, पानी के तनाव और गर्म जलवायु के अनुकूल होने की उसकी क्षमता का अध्ययन करने के लिए एक 'बहु तरंगदैर्ध्य इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर' है। पौधों द्वारा पानी छोड़ने की दर को मापकर, आने वाली वनाग्नि की तीव्रता को मापा जा सकता है।
- स्पेक्ट्रोमीटर, एक ऑप्टिकल उपकरण होता है जिसका उपयोग विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के एक विशिष्ट हिस्से पर प्रकाश के गुणों को मापने के लिए किया जाता है।

विश्व शेर दिवस

संदर्भ: प्रतिवर्ष 10 अगस्त को 'विश्व शेर दिवस' (World Lion's Day) के रूप में मनाया जाता है।

महत्व: पांच दशकों के दौरान, वैश्विक शेरों की आबादी में लगभग 95% की कमी आई है, जिससे इसके संरक्षण की दिशा में काम करने की आवश्यकता है। 'विश्व शेर दिवस' शेरों के संरक्षण पर जोर देता है।

यह दिवस शेरों के सामने आने वाले खतरों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने, उनके प्राकृतिक आवास की रक्षा करने और अधिक आवासों का निर्माण करने पर बल देता है।

शेर के बारे में:

वैज्ञानिक नाम: पैंथेरा लियो (Panthera Leo)

- बाघों के बाद 'शेर' दूसरी सबसे बड़ी बिल्लियाँ हैं। वे समूहों में रहते हैं।
- शेर को दो उप-प्रजातियों-अफ्रीकी शेर (पैंथेरा लियो) और एशियाई शेर (पैंथेरा लियो पर्सिका)- में विभाजित किया गया है।
- 'शेर' एक शीर्ष और कीस्टोन शिकारी है।
- आईयूसीएन स्थिति: एशियाई शेर: लुप्तप्राय, अफ्रीकी शेर: संवेदनशील।
- भारत: गिर वन (गुजरात) अफ्रीका के बाहर शेरों की एकमात्र जंगली आबादी का घर है। भारत में शेरों की आबादी लगातार बढ़ रही है, 2015 और 2020 के बीच इनकी संख्या 523 से बढ़कर 674 हो गयी थी।
- नर और मादा में अंतर: नर के सिर के चारों ओर घने बाल होते हैं जबकि मादा के पास नहीं होते हैं।

- एशियाई और अफ्रीकी शेर के बीच अंतर: नर एशियाई शेर का 'अयाल' (mane) अर्थात शेर आदि जानवरों के गले पर बाल, अफ्रीकी शेर के पूर्ण अयाल की तुलना में अपेक्षाकृत छोटा, विरल और गहरा होता है।

लंपी त्वचा रोग के लिए स्वदेशी टीका

संदर्भ:

केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने पशुओं को गाँठदार त्वचा रोग या 'लंपी त्वचा रोग' (Lumpy skin disease – LSD) से बचाने के लिए स्वदेशी वैक्सीन लम्पी- प्रो वैक-इंड (Lumpi-ProVacInd) को लांच किया है।

इस वैक्सीन को राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र, हिसार (हरियाणा) द्वारा 'भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान', इज्जतनगर (बरेली) के सहयोग से विकसित किया गया है।

लंपी त्वचा रोग:

गाँठदार त्वचा रोग या 'लंपी त्वचा रोग' (Lumpy skin disease – LSD) मवेशियों में होने वाला एक संक्रामक रोग है जो 'पॉक्सविरिडे परिवार' (family Poxviridae) के वायरस के कारण होता है, जिसे 'नीथलिंग वायरस' भी कहा जाता है।

एक वायरल बीमारी है, जिससे गोवंशीय पशु और भैंस दीर्घकालिक रुग्णता का शिकार हो जाते है।

- **लक्षण:** यह पशुओं के पूरे शरीर में विशेष रूप से सिर, गर्दन, अंगों, थन (मादा मवेशी की स्तन ग्रंथि) और जननांगों के आसपास दो से पाँच सेंटीमीटर व्यास की गाँठ के रूप में दिखाई देता है। यह गाँठ बाद में धीरे-धीरे एक बड़े और गहरे घाव का रूप ले लेती है।
- **संचरण:** यह बीमारी मच्छरों, मक्खियों और जूँओं के साथ-साथ पशुओं की लार तथा दूषित जल एवं भोजन के माध्यम से फैलती है।
- लंपी त्वचा रोग' (LSD) वायरस, बिना किसी कीट वाहक की आवश्यकता के सीधे संचरण के साथ, संभवतः साँस द्वारा और निश्चित रूप से संक्रमित सामग्री, संक्रमित व्यक्तियों [मनुष्य से मनुष्य], और प्रयोगशाला से प्राप्त संक्रमण के सीधे संपर्क में आने से मनुष्यों को संक्रमित करने में सक्षम है।

चिट फंड

संदर्भ: हाल ही में, चिट फंड (Chit Funds) पर जीएसटी की दरों को पहले के 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। इससे 'चिट फंड' से उधार लेने की लागत और लाभ दोनों में वृद्धि हो सकती है।

'चिट फंड' के बारे में:

'चिट फंड', एक 'क्लोज-एंडेड ग्रुप लेंडिंग' स्कीम होती है। इसमें 'बोली राशि लिखने के लिए' कागज के एक टुकड़े (चिट) का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसे 'चिट फंड' कहा जाता है।

- वस्तुस्थिति: यह आरबीआई के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, लेकिन 1982 के 'चिट फंड अधिनियम' के तहत राज्य सरकारों के साथ पंजीकृत और विनियमित एक कानूनी इकाई है।
- कार्यविधि: प्रत्येक सदस्य, पूल में अपने हिस्से (निश्चित राशि) का योगदान देता है और जो सदस्य अधिक बोली लगाता है या जिसको जरूरत होती है, उसे एकमुश्त राशि दे दी जाती है, हालाँकि इसके लिए इनको अतिरिक्त भुगतान करना पड़ता है।

- चिट फंड, दुनिया भर में पाए जाने वाले चक्रीय बचत और क्रेडिट संघों का भारतीय संस्करण हैं।

फ़ायदे:

- बंद समूह और परिचित सदस्य होने की वजह से, स्कीम का 'डिफ़ॉल्ट' होना अत्यधिक असंभव होता है।
- 'चिट फंड' एक अनोखा हाइब्रिड साधन है जो एक व्यक्ति को एक उधारकर्ता के बजाय एक बचतकर्ता/ऋणदाता बना देता है।
- जरूरत या आपात स्थिति के मामले में 'सस्ता धन' उपलब्ध कराता है।
- अनौपचारिक कामगारों के लिए ऋण: पेशेवर चिट फंड ने, भारतीय आबादी के एक ऐसे वर्ग की सेवा की है जिनके पास स्थिर आय प्रवाह, नियमित आय का प्रमाण या संपार्श्विक नहीं होता है।

पॉन्ज़ी योजना:

- पॉन्ज़ी योजनाएं निवेशकों को लुभाने वाली धोखाधड़ी का एक रूप होती है, इन योजनाओं में नए निवेशकों से पैसा लेकर पुराने निवेशकों को लाभ दिया जाता है।
- ये योजनाएं, शिकार व्यक्तियों को यह विश्वास दिलाती है, कि उनके लिए प्राप्त होने वाला लाभ उत्पादों की बिक्री अथवा अन्य माध्यमों से आ रहा है, जबकि ये इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ होते हैं, कि इनके लाभ का स्रोत नए निवेशक हैं।
- इन योजनाओं का नामकरण चार्ल्स पॉन्ज़ी के नाम पर किया गया है, जो 1920 के दशक में इस तरकीब का उपयोग करने के लिए कुख्यात था।

'अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध अधिनियम', 2019 के महत्वपूर्ण प्रावधान:

- स्थायी प्रतिबंध अनुच्छेद: इसके तहत जमा स्वीकार करने वालों (Deposit Takers) को प्रचार करने, परिचालन करने, विज्ञापन जारी करने तथा किसी भी अनियमित जमा योजना में जमा स्वीकार करने को प्रतिबंधित किया गया है।
- तीन विभिन्न प्रकार के अपराध का वर्गीकरण, अर्थात अनियमित जमा योजनाओं को चलाना, विनियमित जमा योजनाओं में धोखाधड़ी और अनियमित जमा योजनाओं के संबंध में गलत तरीके से प्रलोभन।
- निवारक के रूप में कठोर सजा और भारी आर्थिक जुर्माना।

राज्य स्तरीय ओबीसी समूहों को केंद्रीय सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता

संदर्भ: वर्तमान में, प्रत्येक राज्य के लिए, दो ओबीसी सूचियां- यानी, एक राज्य के लिए और एक केंद्र के लिए होती हैं। तो, राज्य की ओबीसी सूची में शामिल एक जाति को राज्य सरकार की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का लाभ मिलता है, लेकिन केंद्र सरकार की नौकरियों या शैक्षणिक संस्थानों के संबंध में नहीं उसे यह लाभ नहीं मिल पाता है।

हालांकि, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार चिह्नित की गई, केवल एक सूची और एक स्थिति होती है।

केंद्र सरकार का तर्क: 'राम सिंह और अन्य बनाम भारत संघ मामले' (2015) में, केंद्र सरकार ने तर्क दिया कि राज्य ओबीसी सूची में वर्गों या समूहों को शामिल किया जाना, केंद्रीय सूचियों में ऐसे वर्गों को शामिल करने का एक मजबूत और अप्रतिरोध्य कारण है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इस तर्क की पुष्टि की।

संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 15(4) और 16(4) में नागरिकों के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBCS, लोकप्रिय रूप से ओबीसी), अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।

ओबीसी आरक्षण का ऐतिहासिक विकास-क्रम:

- प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग (1955) ने 2,399 जातियों को ओबीसी के रूप में शामिल करने की सिफारिश की। लेकिन, तत्कालीन केंद्र सरकार ने इसे लागू नहीं किया।
- द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग (मंडल आयोग, 1980) रिपोर्ट: केंद्र सरकार ने इसे बहुत बाद में लागू किया।
- केंद्र सरकार ने 1990 में सरकारी नौकरियों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की शुरुआत की। इंदिरा साहनी मामले में आरक्षण की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा गया था। निर्णय के अनुसरण में, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 अधिनियमित किया गया था।

सम्बंधित खबर:

उप-वर्गीकरण के माध्यम से ओबीसी जातियों के बीच आरक्षण लाभों का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए 'न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग' का गठन किया गया था। हाल ही में इस आयोग को पांच वर्षों में 10वां विस्तार दिया गया है।

उप-वर्गीकरण की आवश्यकता:

यह इस धारणा से उत्पन्न होता है कि ओबीसी के बीच कुछ प्रमुख जातियों ने आरक्षण से होने वाले लाभों को अनुपातहीन रूप से लाभ लिया है, जिससे अन्याय हो रहा है।

- OBC समूह के उप- वर्गीकरण से OBC समुदायों के मध्य अधिक पिछड़े समूहों को शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ सुनिश्चित होगा।
- वर्तमान में, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBCs) में कोई उप-वर्गीकरण नहीं है तथा सभी समुदायों को संयुक्त रूप से 27% आरक्षण प्रदान किया जाता है।

मुफ्त उपहारों पर राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द करने के पक्ष में नहीं सुप्रीम कोर्ट

संदर्भ: उच्चतम न्यायालय ने मुफ्त उपहारों का सहारा लेने वाले राजनीतिक दलों की मान्यता समाप्त करने के प्रश्न पर विचार करने से इनकार कर दिया।

विवरण: सर्वोच्च न्यायालय, राजनीतिक दलों द्वारा सत्ता में आने पर मतदाताओं को "तर्कहीन मुफ्त उपहार" देने की प्रथा पर लगाम लगाने के सवाल पर विचार कर रहा था, खासकर उन राज्यों में जो पहले से ही कर्ज में डूबे हुए हैं। कोर्ट ने कहा है, कि 'फ्रीबीज' सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से अलग हैं।

विधिक स्थिति:

- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के भाग- IV-A में शामिल धारा 29A, राजनीतिक दलों के रूप में संघों और निकायों के पंजीकरण से संबंधित है।
- भाग- IV-A राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करने के लिए कोई 'धारा' या 'उपबन्ध' का प्रावधान नहीं करता है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 किसी राजनीतिक दल के पंजीकरण को रद्द करने के लिए कोई तंत्र प्रदान नहीं करता है

कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा राज्य का 'भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो' (ACB) भंग

संदर्भ: कर्नाटक के उच्च न्यायालय ने, हाल ही में, राज्य के 'भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो' (Anti-Corruption Bureau – ACB) को समाप्त कर दिया। राज्य में 'भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम', 1988 के तहत लोक सेवकों के खिलाफ के सभी मामलों की जांच के लिए,

वर्ष 2016 में मुख्यमंत्री के प्रत्यक्ष नियंत्रण में 'भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो' (ACB) का गठन किया गया था। इस ब्यूरो को 'कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस विंग' में निहित शक्तियां प्राप्त थी।

अदालत के इस आदेश का कारण:

- कार्यपालिका द्वारा अनुच्छेद 162 के तहत मनमाने ढंग से अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया गया और अलग से एक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो' (ACB) का गठन करने के लिए सरकार द्वारा कोई ठोस कारण नहीं बताया गया। साथ ही, यह भी स्पष्ट नहीं था कि मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के खिलाफ मामले में कौन कार्रवाई करेगा।
- 'एसीबी' का इस्तेमाल प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध के लिए भी किया जा सकता है।
- कोर्ट ने फैसले में कहा, 'सरकार द्वारा एसीबी का गठन भ्रष्ट नेताओं, मंत्रियों और अधिकारियों को लोकायुक्त की सतर्क निगाहों से बचाने के लिए किया गया है और सरकार अन्य बातों के साथ-साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत इन व्यक्तियों को अभियोजन से बचाने के लिए लोकायुक्त की संस्था को कमजोर कर रही है।'

अदालत की सिफारिश: अदालत ने कहा कि, यदि वास्तव में सरकार का इरादा प्रशासनिक तंत्र में भ्रष्टाचार, पक्षपात और अनुशासनहीनता पर अंकुश लगाने का होता, तो 'एसीबी' को मुख्यमंत्री के बजाय लोकायुक्त के नियंत्रण में काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए थी।

लोकायुक्त' के बारे में:

'लोकायुक्त' (Lokayukta) एक 'भ्रष्टाचार रोधी प्राधिकरण' या प्रशासनिक शिकायत जाँच अधिकारी / लोकपाल (ombudsman) होता है, जो लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार और कुशासन के आरोपों की जांच करता है तथा इसे लोक शिकायतों के त्वरित निवारण का कार्य सौंपा जाता है।

उत्पत्ति:

- 1966 में स्वर्गीय मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठित 'प्रशासनिक सुधार आयोग' ने 'लोकायुक्त' की संस्था की स्थापना किए जाने सिफारिश की।
- 'केंद्रीय लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम', 2013 (The central Lokpal and Lokayuktas Act, 2013) के तहत 'लोकायुक्त' की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है।

लोकायुक्त की नियुक्ति:

लोकायुक्त के रूप में, आमतौर पर उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है और इनका एक निश्चित कार्यकाल होता है।

लोकायुक्त का चयन:

राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, विधान सभा के अध्यक्ष, विधान परिषद के अध्यक्ष, विधान सभा में विपक्ष के नेता और विधान परिषद में विपक्ष के नेता के परामर्श के बाद 'लोकायुक्त' के रूप में एक व्यक्ति का चयन किया जाता है। इसके बाद में, राज्यपाल द्वारा उस व्यक्ति की 'लोकायुक्त' के रूप में नियुक्ति की जाती है।

- एक बार नियुक्त होने के बाद, लोकायुक्त को सरकार द्वारा बर्खास्त या स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, और केवल राज्य विधानसभा द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है।

स्माइल-75 पहल

संदर्भ: हाल ही में, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा "स्माइल-75 पहल" (SMILE-75 Initiative) शुरू की गयी है।

'SMILE-75 पहल' के बारे में:

- स्माइल: आजीविका और उद्यम के लिए हाशिए पर रहने वाले लोगों की मदद" (SMILE – Support for Marginalised Individuals for Livelihood and Enterprise) योजना का उद्देश्य शहरों/कस्बों और नगरपालिका क्षेत्रों को भीख-मुक्त करने और भीख मांगने के कार्य में लगे व्यक्तियों का व्यापक पुनर्वास करना है।
- स्माइल-75 पहल के तहत, गैर सरकारी संगठनों और अन्य हितधारकों के सहयोग से पचहत्तर (75) नगर निगम भीख मांगने में लगे लोगों के लिए कई व्यापक कल्याणकारी उपायों को लागू करेंगे।
- इन उपायों में पुनर्वास, चिकित्सा सुविधाओं के प्रावधान, परामर्श, जागरूकता, शिक्षा, कौशल विकास, आर्थिक संबंध और अन्य सरकारी कल्याण कार्यक्रमों को मिलाने पर व्यापक रूप से ध्यान देना आदि शामिल है।

भारत में भिखारी:

- 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में भिखारियों की कुल संख्या 4 लाख से अधिक है।
- भिखारियों की कुल संख्या के मामले में 'पश्चिम बंगाल' शीर्ष पर है, इसके बाद उत्तर प्रदेश और बिहार का स्थान है।

भारत में भिक्षावृत्ति संबंधी कानून:

- भारत में, भिक्षावृत्ति संबंधी कोई केंद्रीय अधिनियम नहीं है, हालांकि, कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने, 'बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट', 1959 की कुछ धाराओं, के आधार पर अपने कानून बनाए हैं। 1959 का यह भीख मागने को आपराध घोषित करता है।
- इन कानूनों के माध्यम से, सरकारें, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने, जबरन भीख मंगवाने अथवा 'भीख मांगने वाले के गिरोहों' का समाधान करने तथा पर्यटकों को परेशान करने से रोकने का प्रयास करती हैं।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा 'जैश-ए-मोहम्मद' के उप प्रमुख पर प्रतिबंध

संदर्भ: हाल ही में, चीन ने, 'जैश-ए-मोहम्मद' (Jaish-E-Mohammad: JeM) के डिप्टी चीफ 'रऊफ असगर' को 'संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद' द्वारा नामित 'वैश्विक आतंकवादी' के रूप में सूचीबद्ध करने हेतु भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत प्रस्ताव पर "तकनीकी रोक" लगा दी।

'रऊफ असगर':

यह 'जैश-ए-मोहम्मद' (JeM) के नेता मसूद अजहर का भाई है, और इस पर 1999 में IC-814 अपहरण, 2001 में संसद हमला, साथ ही 2014-2019 की बीच भारतीय सुरक्षा बलों पर कई हमलों, जिनमे पठानकोट में वायु सेना बेस पर हमले, कठुआ, नगरोटा, संजवां और अन्य स्थानों में सेना के शिविरों पर हमलों का, मास्टरमाइंड होने का आरोप है।

'रऊफ असगर' को पाकिस्तान में गिरफ्तार किया गया है और आतंकवाद के वित्तपोषण के आरोप में दोषी ठहराया गया है।

मोहम्मद (जिसे जैश-ए-मोहम्मद भी कहा जाता है) रउफ असगर के साथ, उमर सईद को अमेरिकी पत्रकार डैनी पर्ल की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था।

'टेक्निकल होल्ड' का क्या अर्थ है?

- बीजिंग द्वारा लगाए गए 'टेक्निकल होल्ड' (Technical Hold) का "तकनीकी होल्ड" का अर्थ है कि सबंधित प्रस्ताव अगले छह महीने तक दोबारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।
- चीन के दोहरे मानदंड: इसके 'टेक्निकल होल्ड' से पता चलता है कि चीन आतंकवाद और संबंधित गतिविधियों पर "दोहरे मानदंड" रखता है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का संकल्प 1267:

संकल्प 1267 (Resolution 1267) में ISIL, अल-कायदा और इनसे संबद्ध व्यक्तियों, समूहों, उपक्रमों और संस्थाओं के कृत्यों या गतिविधियों का सहयोग या वित्तपोषण करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ प्रतिबंधों का प्रावधान किया गया है।

- लश्कर-ए-तोयबा, 'जामत-उल-दावा, हाफिज सईद, जैश-ए-मोहम्मद और इसका प्रमुख मसूद अजहर 'संकल्प 1267' के तहत सूचीबद्ध किए गए हैं।
- इससे पहले, संयुक्त राष्ट्र ने 2001 में जैश-ए-मोहम्मद को एक आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया था और जबकि मसूद अजहर को 2019 में 'वैश्विक आतंकवादी' के रूप में नामित किया गया था।
- इसके अलावा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 'संकल्प 1267' के तहत भारत और अमेरिका द्वारा प्रस्तुत, अब्दुल रहमान मक्की (लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद के बहनोई) को नामित करने का प्रस्ताव पर चीन द्वारा 'टेक्निकल होल्ड' पर रखा गया है।

यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन

संदर्भ: केंद्रीय मंत्रिमण्डल ने 'यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन' (Universal Postal Union- UPU) के संविधान में संशोधन के अनुमोदन को मंजूरी दे दी है।

'यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन' (UPU) के बारे में:

- यह एक संयुक्त राष्ट्र विशिष्ट एजेंसी है, जिसकी स्थापना 1874 में 'बर्न की संधि' (UPU मुख्यालय: बर्न, स्विटजरलैंड) द्वारा की गई थी।
- उद्देश्य: विभिन्न देशों में 'डाक क्षेत्र' के बीच सहयोग स्थापित करना।
- सदस्य: वर्तमान में 192 सदस्य। भारत, वर्ष 1876 में इसका सदस्य बना।
- संयुक्त राष्ट्र का कोई भी सदस्य देश या गैर- सदस्य देश, 'यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन' का सदस्य बन सकता है, किंतु इसके लिए गैर-सदस्य देशों का अनुरोध, UPU के सदस्य देशों के कम से कम दो-तिहाई द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक है।

ट्रांस-हिमालय नेटवर्क

संदर्भ: चीन और नेपाल, तथाकथित 'ट्रांस-हिमालय मल्टी-डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क' (Trans-Himalayan Multi-Dimensional Connectivity Network) बनाने पर सहमत हुए हैं।

- चीन के 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' के तहत इस नेटवर्क में रेलवे और संचार नेटवर्क के निर्माण को शामिल किया जाएगा।

Mobile No.- 8824395504, 8290664069
Mail ID-acsajaipur@gmail.com
https://t.me/ACSAJAIPUR4IAS https://www.instagram.com/acsajaipur/ https://www.facebook.com/acsajaipur

- अन्य नेटवर्क: 'BCIM आर्थिक गलियारे' का उद्देश्य म्यांमार और बांग्लादेश के माध्यम से कोलकाता को युन्नान प्रांत की राजधानी कुनमिंग से जोड़ना है। यह सीमा पार परिवहन, ऊर्जा और दूरसंचार नेटवर्क पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक संपन्न आर्थिक बेल्ट के गठन की परिकल्पना करता है।

संरक्षणवाद की ओर बढ़ते कदम

संदर्भ: आंकड़ों से पता चलता है कि 2018-19 के बाद से, भारत सरकार, अपने 'आयात प्रतिस्थापन' (Import Substitution) के कारण 'उदारवाद' (Liberalism) से 'संरक्षणवाद' (Protectionism) में परिवर्तित हो गई है।

संरक्षणवाद: आयात पर 'कर' लगाकर देश के घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने संबंधी सिद्धांत या व्यवहार को 'संरक्षणवाद' (Protectionism) कहा जाता है।

पिछले दो दशकों में सीमा शुल्क को कम करने (उदारीकरण) की प्रवृत्ति रही है। हालांकि, बजट 2018-19 के बाद से, सरकार ने नीति में बदलाव किया है और 'घरेलू मूल्य संवर्धन' को और प्रोत्साहित करने के लिए सीमा शुल्क में वृद्धि (संरक्षणवाद) की है।

इस तरह की नीति के साथ समस्या: सरकार ने राजस्व बढ़ाने के साधन के रूप में 'सीमा शुल्क' का इस्तेमाल किया है। लेकिन, लोक वित्त का एक केंद्रीय सिद्धांत, सीमा शुल्क को 'राजस्व साधन' के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देता है।

'सीमा शुल्क में वृद्धि' को नए उद्योगों की सुरक्षा हेतु कड़ाई से सुरक्षित रखा जाना चाहिए।

भारत में 'शुल्क-व्यवस्था' का इतिहास:

- ब्रिटिश काल: 1882 से, ब्रिटेन ने भारत में 'पूर्ण मुक्त व्यापार नीति' का पालन किया था।
- 1921-22 के भारतीय वित्तीय आयोग ने सिफारिश की कि 'सीमा शुल्क' की एक सुरक्षात्मक भूमिका है, क्योंकि विदेशी प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए प्रारंभिक सुरक्षा महत्वपूर्ण है। आयोग ने सुरक्षात्मक करों को लागू करने के लिए एक 'टैरिफ बोर्ड' की स्थापना किए जाने की सिफारिश की।
- पहला टैरिफ बोर्ड 1923 में नियुक्त किया गया था। इसने लौह और इस्पात उद्योग को सुरक्षा प्रदान की।
- आजादी के बाद, भारत ने 'उदारवादी नीति' का पालन करने की कोशिश की, हालांकि, 'भुगतान संतुलन' संकट (1957-58) के सामने, सख्त 'आयात लाइसेंसिंग' नीति को अपनाया गया था। 1970 के दशक में, लाइसेंस-परमिट राज युग की शुरुआत हुई थी। 1991 के वित्तीय सुधारों में, सरकार ने आयात लाइसेंसिंग को समाप्त कर दिया था।

भारत में 'विकास प्रतिरूप' से जुड़े मुद्दे

संदर्भ: भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के साथ ही हम स्वतंत्रता के समय देश की राष्ट्रीय आय और वर्तमान 'विकास प्रतिरूप' (Growth Pattern) पर नजर डालते हैं।

विकास प्रतिरूप:

- 1900-01 से 1946-47: देश की 'राष्ट्रीय आय वृद्धि' प्रति वर्ष 1% थी।
- राष्ट्रीय आय (National Income): किसी देश के भीतर अर्जित धन की कुल राशि।
- 1950-51 से 2019-20: हर 14 साल में जीडीपी दोगुनी हो गई है और प्रति व्यक्ति जीडीपी हर 24 साल में दोगुनी हो गई है।
- 1980 के बाद से भारत के 'तीव्र आर्थिक विकास' ने पूर्ण गरीबी में पर्याप्त कमी की है।

संबंधित मुद्दे:

- पूर्वी एशिया या दक्षिण पूर्वी एशिया की अर्थव्यवस्थाओं के साथ तुलना: इस क्षेत्र के देशों ने भारतीय अर्थव्यवस्था से बेहतर प्रदर्शन किया है। उदाहरण के लिए, विश्व अर्थव्यवस्था के अनुपात के रूप में प्रति व्यक्ति आय, भारत के लिए 12% से बढ़कर 18%, चीन के लिए 13% से 87% और इंडोनेशिया के लिए 10% से 35% हुई है।
- बढ़ती समानता: भारत में आर्थिक विकास को 'असमान परिणामों' से जोड़ा गया है, जिसकी वजह से प्रादेशिक, विभिन्न क्षेत्रों और लोगों के बीच विभाजन पैदा किया है।
- क्षेत्रीय विभाजन: पश्चिमी और दक्षिणी भारत ने भारत के पूर्व और उत्तर की तुलना में अधिक विकास किया है।
- अमीर और गरीब राज्यों के बीच की खाई विस्तृत हुई है।
- 1950-51 से 2019-20: सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 58% से गिरकर 15% हो गई।
- विश्व असमानता रिपोर्ट 2021 के अनुसार, कि शीर्ष 1% आबादी के पास भारत में कुल संपत्ति का 33% और शीर्ष 10% आबादी के पास कुल संपत्ति का 65% है।

समाधान:

आर्थिक विकास को सार्थक विकास में तभी बदला जा सकता है जब यह लोगों के रहन-सहन की स्थितियों में सुधार लाए। यह स्वीकार करना आवश्यक है, कि रोजगार न केवल विकास का स्रोत है बल्कि लोगों को संगठित करने का एक साधन भी है।

विद्युतचुंबकीय क्षेत्र उत्सर्जन

संदर्भ: विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र (Electromagnetic Field – EMF) उत्सर्जन को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कई कदम।

विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र (EMF): यह ऊर्जा का अदृश्य क्षेत्र होता है, जिसे प्रायः 'विकिरण' (Radiation) के रूप में संदर्भित किया जाता है। 'विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र', विद्युत उर्जा और प्राकृतिक तथा मानव निर्मित प्रकाश के विभिन्न रूपों के उपयोग से जुड़ा होता है।

स्रोत: प्राकृतिक स्रोत (जैसे कि आकाशीय बिजली, और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र) और मानव निर्मित स्रोत (जैसे स्थैतिक क्षेत्रों का उपयोग करने वाले चिकित्सा उपकरण (जैसे MRI), वायरलेस, दूरसंचार और प्रसारण उपकरण)।

संबंधित मुद्दे: विकिरण के कुछ स्तरों से ऊपर, EMF उत्सर्जन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है और मानव शरीर के साथ-साथ जानवरों को, उत्सर्जन की आवृत्ति के आधार पर विभिन्न तरीकों से प्रभावित कर सकता है।

इस संदर्भ में उठाए गए सरकारी कदम:

- मोबाइल टावरों से EMF उत्सर्जन (यह गैर-आयनीकरण रेडियो फ्रीक्वेंसी होती हैं, जोकि हानिकारक नहीं होती हैं): भारत में मोबाइल टावरों से विद्युतचुंबकीय क्षेत्र (ईएमएफ) उत्सर्जन मानदंड पहले से ही डब्ल्यूएचओ द्वारा अनुशंसित सुरक्षित सीमा से दस गुना अधिक कठोर हैं।
- ईएमएफ उत्सर्जन की निगरानी: दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) को निर्धारित मानदंडों का पालन करना होता है, जिसमें बेस ट्रांसीवर स्टेशन (बीटीएस) साइट के वाणिज्यिक प्रारंभ से पहले एक स्व-प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना शामिल है।
- दूरसंचार विभाग की फील्ड इकाइयों द्वारा ईएमएफ ऑडिट किया जाता है।
- गैर-अनुपालन पाए जाने पर दंड और सेवाओं को बंद कर दिया जाता है।

लो एल्टीट्यूड एस्केप मोटर

संदर्भ: इसरो ने गगनयान परियोजना के लिए आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से 'क्रू एस्केप सिस्टम' के 'लो एल्टीट्यूड एस्केप मोटर' (Low Altitude Escape Motor – LEM) का सफल परीक्षण किया है।

- क्रू एस्केप सिस्टम (Crew Escape System – CES), किसी भी घटना के मामले में गगनयान मिशन के क्रू मॉड्यूल को दूर ले जाता है और अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित करता है। उड़ान के प्रारंभिक चरण के दौरान मिशन के रद्द होने के मामले में, LEM प्रक्षेपण वाहन से क्रू मॉड्यूल को दूर करने के लिए CES को आवश्यक बल प्रदान करता है।
- LEM, चार रिवर्स फ्लो नोजल के साथ एक विशिष्ट विशेष प्रयोजन ठोस रॉकेट मोटर है, और 5.98 सेकेंड दहन के समय के साथ 842 किलो का अधिकतम 'समुद्र स्तर प्रेरण बल' (Sea Level Thrust) उत्पन्न करता है।

दवाइयों की कमी का एचआईवी-पॉजिटिव समुदाय पर असर

संदर्भ: राजधानी में 'राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन' (National AIDS Control Organisation – NACO) के कार्यालय के बाहर 15 दिनों से अधिक समय से डेरा डाले हुए प्रदर्शनकारियों का कहना है कि एचआईवी संक्रमित व्यक्ति (People Living With HIV – PLHIV) जीवन रक्षक दवाओं की भारी कमी का सामना कर रहे हैं।

- एक अंतरिम उपाय के रूप में, कुछ 'राज्य एड्स नियंत्रण समितियों' द्वारा भी स्थानीय रूप से कम मात्रा में दवाओं की खरीद की गयी है।
- लेकिन, एक गुणवत्ता परीक्षण से पता चला कि कुछ दवाएं 'ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट' और 'नियमों' द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानकों को पूरा नहीं करती हैं, जिससे घटिया दवाओं के आपूर्ति श्रृंखला में प्रवेश करने पर चिंता जताई जा रही है।

NACO के बारे में:

'राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन' (NACO), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्यरत, एक नोडल एजेंसी है जो राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (NACP) की गतिविधियों को देखने और समन्वय करने के लिए जिम्मेदार है।

एचआईवी के उपचार हेतु दवाएं:

- डोलटेग्रावीर (Dolutegravir)
- लोपिनवीर (Lopinavir)
- रितोनवीर (Ritonavir)
- अबाकवीर (Abacavir)

एंटीरेट्रोवाइरल उपचार:

पौधों में सूखा प्रतिरोध बढ़ाने में सक्षम 'जीन'

- **संदर्भ:** हाल के अध्ययन से पता है कि अफ्रीकी 'ऑर्फ़न' फसल की किस्में पौधों को उच्च तापमान से लड़ने में मदद करती हैं।
- ऑर्फ़न फसलें (Orphan Crops), पौष्टिक स्थानीय खाद्य फसलें होती हैं जो भुखमरी से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। इन फसलों का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार नहीं किया जाता है, यद्यपि कठोर मौसम की स्थिति में बढ़ने के लिए यह फसलें खुद को अनुकूलित कर लेती हैं।

- अफ्रीकी ऑर्फ़न फसल संघ (African Orphan Crops Consortium – AOCC), महाद्वीप पर 'खाद्य सुरक्षा' को संबोधित करने के लिए काम करता है। इस कंसोर्टियम ने, उच्च तापमान सहनशील, लवणता अनुकूलन क्षमता युक्त, और पानी की कम आवश्यकता वाले जीनों की पहचान की है, जो थे, लवणता अनुकूलन क्षमता में वृद्धि हुई थी और पानी की कम आवश्यकताएं थीं जो आवश्यक पोषण प्रदान करती थीं।
- इस खोज से जलवायु परिवर्तन की वजह से फसल उत्पादकता में बाधा उत्पन्न होने संबंधी बढ़ती चिंताओं का समाधान हो सकता है।
- ऑर्फ़न फसलों के उदाहरण हैं: एक प्रकार का अनाज [फागोपाइरम एस्कुलेंटम], क्विनोआ [चेनोपोडियम क्विनोआ], रूट क्रॉप्स, जैसे कि कसावा [मनिहोट एस्कुलेंटा], शकरकंद [इपोमिया बटाटास], और याम [डायोस्कोरिया एसपीपी], और फलीदार फसलें।

'शेवेलियर डे ला लेजन डी'ऑनर' पुरुस्कार

हाल ही में, कांग्रेस नेता 'शशि थरूर' को फ्रांस सरकार का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार "शेवेलियर डे ला लेजन डी'ऑनर (Chevalier de la Legion d'Honneur) प्रदान किया गया।

- यह सम्मान उन्हें 2021 में फ्रेंच में एक भाषण देने लिए दिया जा रहा है।
- शशि थरूर को 2010 में इसी तरह का स्पेनिश सरकार द्वारा "एनकोमिएन्डा डे ला रियल ऑर्डर एस्पानोला डी कार्लोस III" (Encomienda de la Real Order Espanola de Carlos III) सम्मान भी दिया गया था।
- 'लेजन डी'ऑनर' एक फ्रेंच 'ऑर्डर ऑफ मेरिट' है।
- इस सम्मान की स्थापना 'नेपोलियन बोनापार्ट' द्वारा वर्ष 1802 में की गयी थी।
- यह सम्मान, उत्कृष्ट नागरिक या सैन्य कार्य के लिए दिया जाता है।

नेथन्ना बीमा योजना

तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने, हाल ही में, 'राष्ट्रीय हथकरघा दिवस' के अवसर पर 'नेथन्ना बीमा' योजना (Nethanna Bima Scheme) शुरू की है।

- योजना के तहत, पात्र लाभार्थी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु होने पर सरकार द्वारा बुनकर के परिवारों को 5 लाख रुपये की बीमा सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
- हथकरघा और वस्त्र विभाग, तेलंगाना इस योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है।

वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, तेलंगाना सरकार ने निम्नलिखित प्रमुख कार्यक्रम शुरू किए है;

- चेनेथा मित्र योजना (Chenetha Mithra scheme)- यह लागत सब्सिडी से जुड़ी मजदूरी मुआवजा योजना है
- नेतन्नाकु चेयुथा (Nethannaku Cheyutha)- यह तेलंगाना सरकार की एक हथकरघा बुनकर बचत और सुरक्षा योजना है।
- पावला वड्डी योजना (Pavala Vaddi scheme)- इस योजना के तहत सरकार यार्न और विपणन सहायता पर 20% सब्सिडी प्रदान करती है।

सीवर साफ करने वालों की गिनती करेगी सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (MoSJ&E) अब सीवर और सेप्टिक टैंक की खतरनाक सफाई में लगे सभी लोगों की गणना करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण करने की तैयारी कर रहा है। इन कार्यो में 2017 से कम से कम 351 मौतें हुई हैं।

मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, जल्द ही 500 AMRUT (अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन) शहरों में होने वाली गणना प्रक्रिया, केंद्र सरकार की 'मैकेनाइज्ड सेनिटेशन इकोसिस्टम के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना' (NAMASTE) का हिस्सा है।

- यह योजना स्वच्छता कर्मचारियों के पुनर्वास की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करेगी और अंततः 2007 में शुरू की गई 'मैनुअल स्कैवेंजर्स का पुनर्वास योजना' (Rehabilitation of Manual Scavengers) को स्व-रोजगार योजना के साथ विलय और प्रतिस्थापित करेगी।
- सरकार का, इन सफाई कर्मचारियों को 'स्वच्छता उद्यमी योजना' से जोड़ने का भी विचार है, जिसके माध्यम से श्रमिक स्वयं स्वच्छता मशीनों के मालिक होंगे और सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि नगर पालिका स्तर पर काम होता रहे।
- 'हाथ से मैला ढोना' (Manual scavenging) एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग ज्यादातर "मैन्युअल रूप से सफाई, ले जाने, निपटाने, या अन्यथा संभालने, एक अस्वच्छ शौचालय या एक खुली नाली या सीवर या एक सेप्टिक टैंक या एक गड्ढे में मानव मल" के लिए किया जाता है।

मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना / नमस्ते योजना

मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (National Action Plan for Mechanized Sanitation Ecosystem – NAMASTE) या 'नमस्ते योजना' निम्नलिखित इकाइयों का एक संयुक्त उद्यम है;

- पेयजल और स्वच्छता विभाग।
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय।
- आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय।

उद्देश्य: NAMASTE योजना का मुख्य उद्देश्य, भारत में स्वच्छता कार्य में शून्य मृत्यु, किसी भी सफाई कर्मचारी में मानव मल के सीधे संपर्क में नहीं आने और सभी सीवर और सेप्टिक टैंक सफाई कर्मचारियों के पास वैकल्पिक आजीविका तक पहुंच को सुनिश्चित करना है।

अन्य लाभ:

- 15 लाख तक की लागत वाली स्वच्छता मशीनरी पर ₹5 लाख तक की पूंजीगत सब्सिडी और ऋणों पर ब्याज सब्सिडी प्रदान की जायगी। जिसमे, लाभार्थियों के लिए ब्याज दरों को 4-6% के बीच सीमित किया जाएगा, बाकी ब्याज को सरकार द्वारा पूरा किया जाएगा। .
- इसके अलावा, योजना में इन मशीनों के उपयोग में श्रमिकों को प्रशिक्षण देने का भी प्रावधान है, इस दौरान प्रति माह ₹3,000 तक का वजीफा प्रदान किया जाएगा।
- यह योजना स्वच्छता कार्यकर्ताओं को कृषि, सेवाओं, इलेक्ट्रॉनिक्स संयोजन, हस्तशिल्प आदि जैसे क्षेत्रों में वैकल्पिक व्यवसायों की किसी भी अनुमोदित सूची के लिए प्रशिक्षित करने और जाने के लिए भी प्रदान करेगी।

भारत एवं पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह

- संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अर्जेंटीना के 'रियर एडमिरल गुइलेर्मो पाब्लो रियोस' को 'भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह' (United Nations Military Observer Group in India and Pakistan – UNMOGIP) के लिए मिशन के प्रमुख और मुख्य सैन्य पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

- UNMOGIP का नेतृत्व करने के लिए अर्जेंटीना के नौसैनिक अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में नवीनतम घोषणा ऐसे समय में हुई है जब भारत और अर्जेंटीना आधिकारिक स्तर की बातचीत के लिए तैयारी कर रहे हैं।

भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह (UNMOGIP):

UNMOGIP की स्थापना जनवरी 1948 के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 'प्रस्ताव 39' के प्रावधानों के तहत हुई है, इसी प्रस्ताव के अंतर्गत 'भारत और पाकिस्तान के लिए संयुक्त राष्ट्र आयोग' (UNCIP) की स्थापना हुई थी।

- जुलाई 1949 के कराची समझौते ने संयुक्त राष्ट्र स्तर के सैन्य पर्यवेक्षकों की भूमिका को मजबूत किया और जम्मू और कश्मीर में स्थापित 'संघर्ष विराम रेखा' के पर्यवेक्षण की अनुमति दी।
- भारत आधिकारिक तौर पर यह मानता है कि UNMOGIP की भूमिका 1972 के शिमला समझौते के बाद कम हो गयी है। शिमला समझौते के तहत, 'नियंत्रण रेखा' (Line of Control) की स्थापना की गयी थी और इस रेखा ने "मामूली विचलन" के साथ पहले की 'संघर्ष विराम रेखा' का अनुसरण किया।
- पाकिस्तान ने हालांकि भारतीय तर्क को स्वीकार नहीं किया और UNMOGIP से सहयोग मांगना जारी रखा।
- इन भिन्न नीतियों के परिणामस्वरूप, पाकिस्तान ने UNMOGIP के पास कथित भारतीय संघर्षविराम उल्लंघनों के खिलाफ शिकायतें दर्ज करना जारी रखा है।
- जबकि भारत, 1972 के बाद से पाकिस्तान के खिलाफ शिकायतों के साथ आधिकारिक तौर पर UNMOGIP में नहीं गया है।
- दो विरोधी पक्षों – भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेद को देखते हुए – संयुक्तराष्ट्र का यह कहना है कि, संयुक्तराष्ट्र सुरक्षा परिषद के निर्णय के बाद ही UNMOGIP को भंग किया जा सकता है।

डिजिटल ऋण विनियमन

संदर्भ: आरबीआई ने 'डिजिटल लेंडिंग' पर कार्य समूह (2021) की सिफारिश के आधार पर 'डिजिटल ऋण' (Digital Lending) को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

परिभाषा: 'डिजिटल ऋण' (Digital Lending) में वेब प्लेटफॉर्म या मोबाइल ऐप के माध्यम से ऋण देना, प्रमाणीकरण और क्रेडिट मूल्यांकन के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना शामिल है।

डिजिटल ऋण के लाभ:

- डिजिटल उधार में, वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक अधिक निष्पक्ष, कुशल और समावेशी पहुँच बनाने की क्षमता है।
- फिनटेक के नेतृत्व में यह नवाचार, कुछ साल पहले गौण सहायक भूमिका से आगे बढ़कर, अब वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के डिजाइन, मूल्य निर्धारण और वितरण के लिए मूल भूमिका निभा रहा है।
- ईज ऑफ डूइंग लेंडिंग: डिजिटल लेंडर्स डिजिटल चैनलों, जैसे बैंक अकाउंट, ई-कॉमर्स अकाउंट्स, या पार्टनर (या) थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन के साथ इंटीग्रेटेड मोबाइल वॉलेट के जरिए दूर से ही कर्ज बांटते हैं और रीपेमेंट जमा करते हैं।
- पारदर्शिता: ये कैशलेस चैनल परिचालन दक्षता में सुधार करते हैं और एक स्पष्ट ऑडिट ट्रेल प्रदान करके धोखाधड़ी को कम करते हैं।

नियमन की आवश्यकता: डिजिटल ऋणदाताओं द्वारा डेटा के उल्लंघन, अनुचित व्यावसायिक प्रथाओं, धोखाधड़ी, व्यापक चूक, डिजिटल अनभिज्ञता और उच्च-स्तरीय ऋण वसूली प्रथाओं के उदाहरण सामने आए हैं।

दिशानिर्देश:

- कोई तीसरा पक्ष नहीं: सभी 'ऋण संवितरण उधारकर्ता' के बैंक खाते और आरबीआई द्वारा विनियमित डिजिटल ऋणदाता के बीच होंगे। तीसरे पक्ष (जैसे उधार देने वाले सेवा प्रदाताओं) को देय किसी भी शुल्क का भुगतान, ऋणदाता (जैसे बैंक) द्वारा किया जाएगा, न कि उधारकर्ता द्वारा।
- केवल जरूरत-आधारित डेटा संग्रह।
- केवल आरबीआई या अन्य कानूनों के तहत अनुमत संस्थाओं को ही उधार देने की अनुमति है।
- किसी भी डिजिटल ऋण में, उधारकर्ता को एक मानकीकृत कुंजी तथ्य विवरण (KFS) प्रदान किया जाना चाहिए।
- विनियमित संस्थाओं और उनके साथ काम करने वाले एलएसपी के पास एक नोडल शिकायत निवारण अधिकारी भी होना चाहिए।
- उधारकर्ता के पास एकत्रित डेटा का "भुलाए जाने का अधिकार" होना चाहिए।

सम्बंधित खबर:

डिजिटल करेंसी: UNCTAD के अनुसार, डिजिटल करेंसी के उपयोग में 20 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में से भारतीय 7वें स्थान पर थे। भारत में केवल 7.3% आबादी के पास 'डिजिटल मुद्रा' है।

अटल पेंशन योजना

संदर्भ: वित्त मंत्रालय के नए निर्देश के अनुसार, सभी आयकर दाता 1 अक्टूबर से 'अटल पेंशन योजना' (Atal Pension Yojana – APY) में शामिल होने के पात्र नहीं होंगे।

अटल पेंशन योजना' (APY) के बारे में:

2015 में शुरू की गयी अटल पेंशन योजना' (Atal Pension Yojana – APY) का उद्देश्य सभी भारतीयों के लिए विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र में गरीबों, वंचितों और श्रमिकों पर केंद्रित एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बनाना है। वर्तमान में इस योजना 2 करोड़ से अधिक उपभोक्ता हैं।

- पात्रता: 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के बैंक खाताधारक।
- लाभ: 60 वर्ष की आयु के बाद 1000 से 5000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम मासिक पेंशन। मृत्यु के मामले में, जीवनसाथी को जीवन भर के लिए गारंटीड पेंशन मिलेगी।
- नोडल एजेंसी: 'पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण' (PFRDA)। यह वित्त मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) को प्रशासित करने के लिए वैधानिक प्राधिकरण है।
- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS), सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ 18-65 आयु वर्ग में भारत के किसी भी व्यक्तिगत नागरिक (निवासी और अनिवासी दोनों) के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित पेंशन योजना है। इसे 2004 में शुरू किया गया था।

संवर्धित चावल

संदर्भ: सरकार एक साल से 'संवर्धित चावलों' (Fortified rice) की आपूर्ति कर रही है।

पृष्ठभूमि: सरकार ने पिछले साल घोषणा की थी कि 2024 तक पूरे देश में भारत सरकार की हर योजना में चरणबद्ध तरीके से फोर्टिफाइड चावल का उपयोग किया जाएगा।

परिभाषा: चावल का फोर्टीफिकेशन, मिलिंग के समय 1:100 (यानी 1 भाग सूक्ष्म पोषक तत्व और 100 भाग चावल) के अनुपात में – आयरन, विटामिन बी 12 और फोलिक एसिड जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों से युक्त 'संवर्धित चावल भूसी' / फोर्टिफाइड राइस कर्नेल्स (Fortified Rice Kernels – FRK) को जोड़ने की प्रक्रिया होती है।

खाद्य मंत्रालय के अनुसार, आहार में विटामिन और खनिज सामग्री को बढ़ाने के लिए चावल का संवर्धन (fortification) किया जाना एक लागत प्रभावी और पूरक रणनीति है।

- FSSAI द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार, 1 किलो संवर्धित चावल में आयरन (28 mg-42.5 mg), फोलिक एसिड (75-125 माइक्रोग्राम) और विटामिन B-12 (0.75-1.25 माइक्रोग्राम) होगा।
- इसके अलावा, चावल को सूक्ष्म पोषक तत्वों के साथ, एकल या संयोजन में, जस्ता (10 मिलीग्राम -15 मिलीग्राम), विटामिन A (500-750 माइक्रोग्राम आरई), विटामिन बी-1 (1 मिलीग्राम-5 मिलीग्राम), विटामिन बी-2 (1.25 mg-1.75 mg), विटामिन B3 (12.5 mg-20 mg) और विटामिन B6 (1.5 mg-2.5 mg) प्रति किग्रा के साथ भी संवर्धित किया जाएगा।

लाभ: चूंकि, 'फूड फोर्टिफिकेशन' के तहत व्यापक रूप से सेवन किए जाने वाले मुख्य खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों की वृद्धि की जाती है, अतः आबादी के एक बड़े भाग के स्वास्थ्य में सुधार करने हेतु यह एक उत्कृष्ट तरीका है।

- 'फोर्टिफिकेशन' व्यक्तियों के पोषण में सुधार करने का एक सुरक्षित तरीका है और भोजन में सूक्ष्म पोषक तत्वों को मिलाए जाने से लोगों के स्वास्थ्य के लिए कोई खतरा नहीं होता है।
- इस पद्धति में लोगों की खान-पान की आदतों और पैटर्न में किसी तरह के बदलाव की जरूरत नहीं है, और यह लोगों तक पोषक तत्व पहुंचाने का सामाजिक-सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य तरीका है।
- 'फूड फोर्टिफिकेशन' से भोजन की विशेषताओं-स्वाद, अनुभव, स्वरूप में कोई बदलाव नहीं होता है।
- इसे जल्दी से लागू किया जा सकता है और साथ ही अपेक्षाकृत कम समय में स्वास्थ्य में सुधार के परिणाम भी दिखा सकते हैं।
- यदि मौजूदा तकनीक और वितरण प्लेटफॉर्म का लाभ उठाया जाता है तो यह काफी लागत प्रभावी विधि साबित हो सकती है।

संबंधित मुद्दे: 'फोर्टिफिकेशन' के लाभों के साक्ष्य अनिर्णायक हैं; इससे 'हाइपरविटामिनोसिस' (विटामिन का उच्च स्तर) हो सकता है; आहार विविधता, फोर्टिफिकेशन' का एक बेहतर विकल्प है।

राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन

संदर्भ: 'राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन' (National Intellectual Property Awareness Mission – NIPAM) के तहत अब तक 1 मिलियन से अधिक छात्रों को 'बौद्धिक संपदा' जागरूकता प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है।

NIPAM के बारे में:

आईपी जागरूकता और बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान करने का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसे 8 दिसंबर 2021 को "आजादी का अमृत महोत्सव" समारोह के एक भाग के रूप में शुरू किया गया था।

- इसका उद्देश्य रचनात्मकता और नवाचारों की भावना को विकसित करने के लिए छात्रों (कक्षा 8 से 12) के लिए आईपी जागरूकता और बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान करना है।
- इसे 2021 में 'आजादी का अमृत महोत्सव' के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था।

- परिभाषा: बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) व्यक्तियों को उनके दिमाग की रचनाओं, जैसेकि आविष्कार, साहित्यिक और कलात्मक कार्य, और प्रतीक, नाम और चित्र जो वाणिज्य में उपयोग किए जाते हैं- पर दिए जाने वाले अधिकार हैं।
- नोडल एजेंसी: यह कार्यक्रम बौद्धिक संपदा कार्यालय, पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक कार्यालय (सीजीपीडीटीएम) एवं वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा लागू किया जा रहा है।

विश्व हाथी दिवस

संदर्भ: हाथियों की दुर्दशा और उनकी रक्षा करने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 12 अगस्त को 'विश्व हाथी दिवस' (World Elephant Day) मनाया गया।

- **इतिहास**: विश्व हाथी दिवस की स्थापना कनाडा के एक फिल्म निर्माता, पेट्रीसिया सिम्स ने 2012 में 'एचएम क्वीन सिरिकिट' की पहल, थाईलैंड के 'एलीफैंट रीइन्ट्रडक्शन फाउंडेशन' के साथ की थी।
- **संख्या:** 2017 की गणना के अनुसार, भारत में हाथियों की आबादी लगभग 30000 हैं, जोकि वर्ष 2012 की गणना से अधिक है।
- **प्रकृति**: यह जीव, वानरों और डॉल्फ़िन के समान अत्यधिक बुद्धिमान प्राणी हैं, और सहानुभूति, शोक और करुणा जैसी भावनाओं को दिखाने में सक्षम हैं।
- एशियाई हाथियों में, भारतीय हाथियों की संख्या सर्वाधिक है, आकार में श्रीलंकाई हाथी सबसे बड़ा है और जबकि सुमात्रा हाथी सबसे छोटा है।
- **चिंताएं**: अवैध शिकार का बढ़ना, पर्यावास का नुकसान, मानव-हाथी संघर्ष (भारत में 2019-20 और 2021-22 के बीच हाथियों के हमले से 1,578 लोग मारे गए), कैद में दुर्व्यवहार।

उठाए गए कदम:

- नए हाथी रिजर्व: उदाहरण- कर्नाटक में मैसूर और दांदेली हाथी रिजर्व।
- हाथियों की वृद्धि के लिए चारागाह: लैंटाना (lantana) और यूपेटोरियम जैसी आक्रामक प्रजातियों से क्षेत्रों की सफाई करके हाथियों के लिए चारागाह उपलब्ध कराना।
- 'गज यात्रा': हाथियों की सुरक्षा के लिए जागरूकता अभियान।
- माइक कार्यक्रम (हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी (Monitoring the Illegal Killing of Elephants (MIKE) programme) कार्यक्रम, 2003): यह हाथी संरक्षण के लिए एक अंतरराष्ट्रीय सहयोग है।
- हाथी परियोजना (केंद्र प्रायोजित योजना, 1992): हाथियों और उनके आवास की रक्षा के लिए।
- सुप्रीम कोर्ट: जानवरों के पास जाने का अधिकार है और शीर्ष अदालत ने नीलगिरी हाथी कॉरिडोर पर आस-पास के रिसॉर्ट्स को बंद करने के लिए कहा है।
- भारत में सभी एशियाई हाथियों का लगभग 60% हिस्सा है। पिछले 8 वर्षों में हाथियों के अभ्यारण्यों की संख्या में वृद्धि हुई है।

राजस्थान स्पेशल

राजस्थान का एकीकरण

राजस्थान का एकीकरण कुल 7 चरणो मे पुरा हुआ।

1. पहला चरण- 18 मार्च 1948 को
   - नाम- मत्स्य संघ
   - शामिल रियासत- अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर
   - ठिकाना- निमराणा (अलवर)
   - राजधानी- अलवर
   - उद्घाटन- भरतपुर के लौहागढ़ दुर्ग मे
   - उद्घाटन कर्ता- N.V. गोडगिल/गोडविल (नरहरी विष्णु गोडगिल)
   - राज प्रमुख- धौलपुर नरेश उदयभान सिंह
   - उपराज प्रमुख- करौली के महारावल गणेशपाल
   - प्रधानमंत्री- शोभाराम कुमावत (अलवर)
   - उप प्रधानमंत्री- युगल किशोर चतुर्वेदी (राजस्थान का नेहरू)
   - मत्स्य संघ नाम देने वाला- K.M. मुंशी (कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी

2. दुसरा चरण- 25 मार्च 1948
   - नाम- पूर्व राजस्थान
   - शामिल रियासत- कोटा, झालावाड़, बूंदी, टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा, बासवाड़ा, डूँगरपुर, प्रतापगढ़
   - ठिकाना- लावा (जयपुर), कुशलगढ़
   - राजधानी- कोटा
   - उद्घाटन कर्ता- N.V. गोडगिल (यह प्रथम आंगल भारतीय था)
   - राज प्रमुख- भीमसिंह (कोटा)
   - उपराज प्रमुख- बूंदी नरेश बहादुर सिंह
   - प्रधानमंत्री- गोकुल लाल असवा (शाहपुरा)

3. तीसरा चरण- 18 अप्रेल 1948
   - नाम- संयुक्त राजस्थान
   - शामिल रियासत- पूर्व राजस्थान व उदयपुर
   - राजधानी- उदयपुर (मेवाड़)
   - उद्घाटन कर्ता- पंडित जवाहर लाल नेहरू
   - राज प्रमुख- भूपाल सिंह
   - उपराज प्रमुख- भीमसिंह (कोटा)
   - प्रधानमंत्री- माणिक्य लाल वर्मा

4. चौथा चरण- 30 मार्च 1949

Mobile No.- 8824395504, 8290664069
Mail ID-acsajaipur@gmail.com
https://t.me/ACSAJAIPUR4IAS https://www.instagram.com/acsajaipur/ https://www.facebook.com/acsajaipur

- नाम- वृहद राजस्थान
- शामिल रियासत- संयुक्त राजस्थान, जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर
- राजधानी- जयपुर
- उद्घाटन कर्ता- सरदार वल्लभ भाई पटेल
- राज प्रमुख- सवाई मानसिंह द्वितिय (जयपुर)
- प्रधानमंत्री- हिरा लाल शास्त्री
- 30 मार्च को ही राजस्थान दिवस मनाया जाता है इसी चरण मे जीवन पर्यन्त महाराज प्रमुख भूपाल सिंह को बनाया गया व राजस्थान के प्रथम मनोनित मुख्यमंत्री हिरा लाल शास्त्री को बनाया गया।
- सत्य नारायण समिति कि सिफारिस पर भोगोलिक एंव पेयजल कि दृष्टि से जयपुर को राजधानी बनाने कि सिफारिस कि गयी।
- सत्य नारायण समिति कि अन्य सिफारिस उच्च न्यायालय (जोधपुर), कृषि विभाग (भरतपुर), खनिज विभाग (उदयपुर), शिक्षा विभाग (बीकानेर), वन विभाग (कोटा) को बनाया।

5. पाँचवा चरण- 15 मई 1949

- नाम- संयुक्त वृहद राजस्थान
- शामिल रियासत- वृहद राजस्थान व मत्स्य संघ
- राजधानी- जयपुर
- उद्घाटन कर्ता- सरदार पटेल
- राज प्रमुख- सवाई मानसिंह द्वितिय
- प्रधानमंत्री- हिरा लाल शास्त्री
- शंकर राय देव समिति कि सिफारिस पर वृहद राजस्थान को पाँचवे चरण मे शामिल किया गया।

6. छठा चरण- 26 जनवरी 1950

- नाम- राजस्थान
- शामिल रियासत- संयुक्त वृहद राजस्थान व सिरोही (आबू तथा देलवाड़ा को छोड़कर)
- आबू व देलवाड़ा को गोकुल भाई भट्ट के प्रयासो से राजस्थान मे मिलाया गया।
- गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गाँधी कहा जाता है।

7. सातवा चरण- 1 नवम्बर 1956

- नाम- आधुनिक राजस्थान (पुनर्गठित राजस्थान)
- शामिल रियासत- राजस्थान संघ, आबू, देलवाड़ा, सुमेल टप्पा व अजमेर
- सुमेल टप्पा मध्यप्रदेश के मंदसोर जिले कि भानुपुरा तहसील से लेकर झालावाड़ में मिलाया गया।
- कोटा के सिरोज उपखण्ड को मध्यप्रदेश मे मिलाया गया।
- राजस्थान को A श्रेणी का दर्जा दिया गया व राज्यपाल कि नियुक्ति जारी कि गई और प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह बने।

Mobile No.- 8824395504, 8290664069
Mail ID-acsajaipur@gmail.com